बिहार सरकार
सहकारिता विभाग
CO-OPERATIVE DEPARTMENT, GOVT. OF BIHAR

बिहार सरकार

2025
अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष
सहकारी समितियाँ एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती हैं

श्री नीतीश कुमार
माननीय मुख्यमंत्री, बिहार

श्री विजय कुमार सिन्हा
माननीय उप-मुख्यमंत्री, बिहार

श्री सम्राट चौधरी
माननीय उप-मुख्यमंत्री, बिहार

डॉ० प्रेम कुमार
माननीय सहकारिता मंत्री, बिहार

वार्षिक प्रतिवेदन

2024 - 25

सहकारिता विभाग

बिहार सरकार

राज्यपाल,बिहार
helpdesk@biharscb.co.in

प्रगति यात्रा 2025
श्री नीतीश कुमार

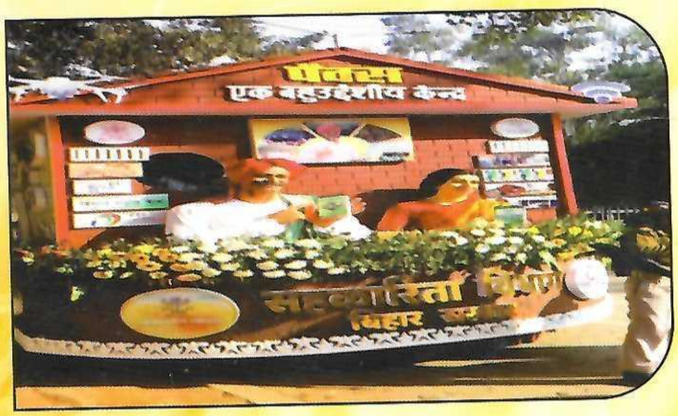
पैक्स
एक बहुउद्देशीय केन्द्र

डॉ० प्रेम कुमार
माननीय मंत्री,
सहकारिता विभाग,
बिहार ।

बिहार सरकार

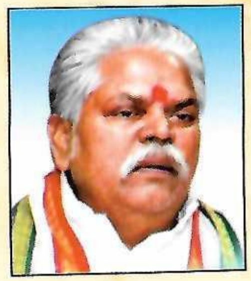

सहकारिता विभाग का वर्ष 2024–25 का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है।

राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सहकारिता एक सशक्त माध्यम है। सहकारिता को एक मूल्य आधारित सशक्त आर्थिक–सामाजिक व्यवस्था के रूप में विकसित किया जाना वर्तमान समय की माँग है। भारतीय संविधान के ''97वें संशोधन'' द्वारा देश के नागरिकों को सहकारी समिति के गठन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है और राज्यों को सहकारी समितियों के गठन एवं विकास का दायित्व सौंपा गया है। सहकारिता के क्षेत्र में कृषि साख की उपलब्धता, कृषि उत्पाद के भंडारण की व्यवस्था, खाद्यान्न अधिप्राप्ति के माध्यम से कृषकों को उनके उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाना, फसलों की क्षति होने पर बिहार राज्य फसल सहायता योजना अंतर्गत योग्य किसानों को क्षतिपूर्त्ति की व्यवस्था करना, पैक्सों में कृषि संयंत्र बैंक की स्थापना आदि विभाग के मुख्य कार्य हैं। वर्ष 2024–25 में भारत सरकार द्वारा सहकारिता के विकास हेतु 54 प्रमुख आवश्यक पहल करते हुए सहकारी क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। भारत सरकार के सहयोग से जन औषधि केन्द्र, पेट्रोल / डीजल आउटलेट, कॉमन सर्विस सेन्टर, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र इत्यादि पैक्सों में स्थापित किये जा रहे हैं, जिससे रोजगार सृजन के साथ–साथ पैक्सों की आय में अपेक्षित वृद्धि होगी। सभी प्रकार के सहकारी समितियों का डाटा 'नेशनल कॉपरेटिव डाटा बेस पोर्टल' पर संधारित किया गया हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वर्ष 2025 को ''अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025'' घोषित किया गया है, जिसका थीम है– ''Co-operatives build a better World'' राज्य सरकार द्वारा ''सहकारिता में सहकार'' अभियान की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य सहकारी बैंकों से सभी प्रकार की सहकारी समितियों को जोड़ते हुए माइक्रो–ए0टी0एम0 के माध्यम से किसानों / आमजनों को डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराना है। इस योजना को प्रारंभ करते हुए वर्तमान में 12 पैक्सों में ''बैंक मित्र'' द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष में 1500 डेयरी तथा अन्य समितियों में माइक्रो–ए0टी0एम0 के माध्यम से डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

राज्य में सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लागू 'प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स) का कम्प्यूटरीकरण' योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में 4477 पैक्सों का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है। योजनान्तर्गत राज्य में वर्तमान विद्यमान ग्राम पंचायत के सह अंतक सभी पैक्सों को चरणबद्ध रूप से वित्तीय वर्ष 2022–23 से 2026–27 की अवधि में कम्प्यूटरीकृत करने हेतु केन्द्रांश के रूप में कुल 149.40 करोड़ रूपए एवं राज्यांश के रूप में 99.60 करोड़ रूपए अर्थात कुल 249.00 करोड़ रूपए व्यय किया जाएगा। द्वितीय चरण में 1601 पैक्सों को कम्प्यूटरीकरण के स्वीकृति हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया है। भारत सरकार के सहयोग से निबंधक एवं जिला स्तरीय कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण भी किया जा रहा है।

धान अधिप्राप्ति वर्ष 2024–25 में अधिप्राप्ति लक्ष्य 45.00 लाख एम॰टी॰ के आलोक में दिनांक 15.02.2025 तक अंतर्गत 6795 समितियों द्वारा 4.63 लाख किसानों से 39.23 लाख एम॰टी॰ (87.19 प्रतिशत) धान की अधिप्राप्ति की गई है। कुल 4.63 लाख किसानों को (शत प्रतिशत) 9120 करोड़ रूपए का भुगतान न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में किया जा चुका है। अधिप्राप्ति व्यवस्था को सुगम एवं पारदर्शी बनाने हेतु Online Procurement Management System के अंतर्गत Mobile Application के माध्यम से अधिप्राप्ति कार्य का संचालन एवं पर्यवेक्षण किया जा रहा है। साथ ही IVRS Call Centre के माध्यम से किसानों के द्वारा 1800 1800 110 पर दर्ज किए जा रहे समस्याओं का निवारण भी किया जा रहा है।

बिहार में सहकारिता के क्षेत्र में सूचना प्रावैधिकी का समावेश किया गया है, जिसके फलस्वरूप ऑनलाईन सदस्यता, ऑनलाईन निबंधन एवं अंकेक्षण एप्प द्वारा ससमय त्वरित गति से विभागीय कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है। ऑनलाईन सदस्यता के माध्यम से अबतक 5.57 लाख सदस्य बनाए जा चुके हैं।

राज्य में सब्जी उत्पादकों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य प्रदान करने एवं उपभोक्ताओं को बाजार से अपेक्षाकृत कम मूल्य एवं गुणवत्तापूर्ण सब्जी उपलब्ध हो, इस उद्देश्य से आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए बेहतर भंडारण, प्रसंस्करण एवं विपणन की व्यवस्था करने के साथ साथ उत्पादों का मूल्य संवर्द्धन हेतु त्रि–स्तरीय सहकारी संरचना का आधार तैयार किया जा रहा है। राज्य अंतर्गत 438 प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सब्जी सहकारी समिति का निबंधन किया जा चुका है। इस योजना अंतर्गत सब्जी उत्पादों के ब्रांड का नाम "तरकारी" है। इस योजनान्तर्गत गठित समितियों के सब्जी व्यवसाय का टर्न ओवर 158 करोड़ रूपए से अधिक हो चुका है।

राज्य सरकार द्वारा फसल क्षति की क्षतिपूर्ति हेतु किसानों के हित में 'बिहार राज्य फसल सहायता योजना' लागू की गई हैं। खरीफ 2022 मौसम हेतु 286536 योग्य किसानों को 296.83 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है। रबी 2022–23 में 11,69,128 किसानों के द्वारा निबंधन

कराया गया है, जिसके भुगतान की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। खरीफ 2023 हेतु 15,96,922 किसानों के द्वारा निबंधन कराया गया है तथा योग्य पंचायतों के निबंधित किसानों का सत्यापन प्रक्रियाधीन है एवं खरीफ वर्ष 2024 में 959502 किसानों के द्वारा निबंधन कराया गया है।

पैक्सों में मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत कृषि संयंत्र बैंक स्थापित किया जा रहा है। योजना अंतर्गत चयनित पैक्सों द्वारा कृषि उपकरणों का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। पैक्सों में कृषि संयंत्र बैंक की स्थापना से लघु एवं सीमांत किसानों की आधुनिक कृषि तकनीक तक पहुँच सुगम हो रही है। योजनान्तर्गत 2976 पैक्सों को 439.05 करोड़ रूपए आवंटित किए गए। वर्तमान में 2969 पैक्सों द्वारा 16927 कृषि यंत्रों के क्रय हेतु निविदा आमंत्रित किये गये हैं। पैक्सों को 15892 विभिन्न कृषि संयंत्रों की आपूर्ति कंपनियों द्वारा की जा चुकी है।

बाजार की निरंकुश शक्तियों पर नियंत्रण में सहकारी आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अल्पकालीन कृषि साख समितियों के अतिरिक्त मत्स्यपालन, बुनकर, गृह निर्माण, दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण, शहद उत्पादन एवं प्रसंस्करण आदि क्षेत्रों में भी सहकारी व्यवस्था एवं प्रबंधन की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य सहकारी विकास निगम के सहयोग से राज्य अंतर्गत 100 FPO का गठन किया गया है। सहकारी बैंक के स्तर पर 15 CBBO का गठन किया गया है, जिसमें विशेषज्ञ पदाधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है। इनके द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय वृद्धि की योजना बनाना एवं क्रियान्वित किया जाना है।

राज्य में पैक्सो के लिए राज्य स्तरीय विपणन परिसंघ, मत्स्य पालकों के लिए सहकारी मत्स्य परिसंघ एवं शहद उत्पादन एवं विपणन के क्षेत्र में बिहार राज्य सहकारी शहद प्रसंस्करण एवं विपणन संघ का गठन किया जा रहा है। राज्य में बुनकरों के लिए वर्तमान में 04 बुनकर संघ गठित हैं। इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी तथा राज्य स्तर पर परिसंघ बनाया जाएगा।

बिहार राज्य भंडार निगम 'राज्य भंडारण एजेंसी' के रूप में घोषित है। इसकी भंडारण क्षमता लगभग 8 लाख मे0टन है तथा इसके अंतर्गत 60 से अधिक गोदाम संचालित हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 में भंडार निगम के द्वारा 37.01 करोड़ रूपये का लाभ अर्जित किया गया है।

मैं अत्यंत आशान्वित हूँ कि सहकारिता के माध्यम से राज्य की उद्यमशीलता को एक नई दिशा देकर राज्य के सर्वांगीण विकास में क्रांतिकारी परिवर्त्तन शीघ्र परिलक्षित होगा।

(डॉ॰ प्रेम कुमार)
माननीय मंत्री,
सहकारिता विभाग

विषय - सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1	विभाग की मुख्य उपलब्धियाँ	5–7
2	योजनायें एवं उपलब्धियाँ	8–11
	i. कृषि रोड मैप (2023–28)	12
	ii. अधिप्राप्ति	13
	iii. बिहार राज्य फसल सहायता योजना	14
	iv. सहकारी अधिसंरचना	15
	v. बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना,	16–18
	vi. समेकित सहकारी विकास परियोजना	19–20
	vii सहकार भवन	21
	viii. मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना	22
	ix वार्षिक योजना	23–26
	x. पैक्सों में व्यावसायिक विविधीकरण की योजनाएँ	
	a. कॉमन सर्विस सेन्टर (Common Service Centre)	
	b. पेट्रोल / डीजल आउटलेट की स्थापना	
	c. जन औषधि केन्द्र	
	d. पैक्सों में प्रधानमंत्री कृषक समृद्धि केन्द्र की स्थापना	
3	सहकारी कृषि साख संरचना एवं उपलब्धियाँ	27
	i अल्पकालीन सहकारी कृषि साख संरचना (त्रिस्तरीय ढ़ाँचा)	28
	ii. राज्य सहकारी बैंक लि०	29–30
	iii. केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०	31
	iv. प्राथमिक कृषि साख समितियाँ (पैक्स)	32
	v. सहकारी ऋण वितरण	33
4	सहकारी समितियों का लेखा अंकेक्षण	34–35
5	प्रशिक्षण एवं कार्यशाला	
6	महत्वपूर्ण सहकारी संस्थान	36
	i. सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र पूसा	36
	ii. प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार	36
	iii. व्यापार मंडल	37–41
7	बिहार राज्य भंडार निगम	42–44
8	सहकारिता विभाग में आई०टी० का समावेश	45
परिशिष्ट–I	विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियाँ	46
परिशिष्ट–II	राज्य में निबंधित सहकारी समितियों की संख्या	
परिशिष्ट–III	विभिन्न योजनान्तर्गत गोदाम निर्माण एवं गैसीफायर आधारित राईस मिल की स्थापना से सम्बन्धित प्रतिवेदन	47–48
परिशिष्ट–IV	विभाग की सांगठनिक एवं प्रशासनिक संरचना	49
परिशिष्ट–V	सहकारिता विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय	50–51

1. विभाग की मुख्य उपलब्धियाँ

क्र०सं०	योजना			
1.	अधिप्राप्ति			
	(क) खरीफ 2023–24 मौसम (धान)	7056 पैक्स / व्यापारमण्डल	30.79 लाख मे॰टन (3.72 लाख किसानों से)	
	(ख) रबी 2024 मौसम (गेहूँ)	1201 पैक्स / व्यापारमण्डल	3732.94 मे॰टन (1681 किसानों से)	
	(ग) खरीफ 2024–25 मौसम (धान)	6732 पैक्स / व्यापारमण्डल	39.23 लाख मे॰टन (4.63 लाख किसानों से)	
2.	बिहार राज्य फसल सहायता योजना	निबंधित कृषकों की संख्या	लाभान्वित किसानों की संख्या	किसानों को भुगतान की गई राशि
	(क) बिहार राज्य फसल सहायता योजना (खरीफ 2022)	1664944	286536	296.83 करोड़ रूपये
	(ख) बिहार राज्य फसल सहायता योजना (रबी 2022–23)	1169128	भुगतान प्रक्रियाधीन	
	(ग) बिहार राज्य फसल सहायता योजना (खरीफ 2023)	1596922	सत्यापन एवं भुगतान प्रक्रियाधीन	
	(घ) बिहार राज्य फसल सहायता योजना (रबी 2023–24)	775391	सत्यापन प्रक्रियाधीन	
	(ङ) बिहार राज्य फसल सहायता योजना (खरीफ 2024)	959502	योग्य ग्राम पंचायतों का चयन प्रक्रियाधीन	
3.	बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना			
	बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना।	PVCS - 438 संघ–03 फेडरेशन–01	• PVCS स्तर पर आधारभूत संरचना निर्माण–09 पूर्ण। 16 निर्माणाधीन। • तीनों संघ द्वारा सब्जी व्यवसाय में कुल टर्न ओवर– 90153 मे॰टन राशि– 158 करोड़ रु॰ (17.02.2025) • E-commerce- 40075 ऑर्डर आपूर्त्ति।	
4.	कृषि रोड मैप (2023–28) के अंतर्गत राज्य योजना के तहत गोदाम निर्माण			
	(क) वर्ष 2023–24 में गोदाम निर्माण	2 लाख मे॰टन	स्वीकृत 325 गोदाम (2.36 लाख मे॰टन) में से 58 पूर्ण 267 निर्माणाधीन	
	(ख) वर्ष 2024–25 में गोदाम निर्माण	2 लाख मे॰टन	स्वीकृत 259 गोदाम (2.05 लाख मे॰टन) में से 259 निर्माणाधीन	

5.	समेकित सहकारी विकास परियोजना		
	(क) कार्यान्वित किये जा रहे जिले	मोतिहारी, औरंगाबाद, बेगूसराय, दरभंगा, बेतिया एवं पूर्णियाँ	48950.93 लाख रू. की लागत से।
6.	अल्पकालीन कृषि ऋण का वितरण		
	(क) किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण। वर्ष 2023–24 (दिनांक–31.01.2024 तक)	सदस्य–52958	147.51 करोड़ रूपये
	(ख) वर्ष 2024–25 (दिनांक 31.12.2024)	सदस्य–30637	11037.53 लाख रूपये
7.	पैक्सों में सदस्यता अभियान		
	राज्यान्तर्गत 8463 पैक्सों में 1 .44 करोड़ (एक करोड़ चौआलीस लाख) सदस्य है, जिसमें लगभग 38 (अड़तीस लाख) लाख महिलायें है। विभागीय वेबसाईट www.cooperative.bih.nic.in के माध्यम से कोई भी इच्छुक व्यक्ति ऑन लाईन आवेदन कर पैक्स का सदस्य बन सकता है।		
8.	मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना		
	मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के पैक्सों में कृषि उपकरण बैंक स्थापित करना है जिसके माध्यम से लघु एवं सीमांत कृषकों की आधुनिक कृषि उपकरणों तक पहुँच सुनिश्चित हो सके तथा राज्य की कृषि में मात्रात्मक एवं गुणात्मक हस्तक्षेप संभव हो।	इस योजना के लिए प्रथम वर्ष 2020–21 में 2976 पैक्सों के लिए प्रति पैक्स 15.00 लाख रू0 की दर से कुल मो0–439.05 करोड़ रूपये प्राप्त है।	राज्य सरकार द्वारा योजनान्तर्गत प्रत्येक पैक्स को कृषि यंत्र क्रय करने हेतु 50% ऋण (ब्याज सहित) एवं 50% अनुदान के रूप में राशि उपलब्ध करायी गई है।
9.	सहकार भवन		
	सहकारिता विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को एक स्थान पर अवस्थित कराने के उद्देश्य से सहकार भवन का निर्माण।	राज्य योजना अंतर्गत कुल लागत 109.0663 करोड़ से आठ प्रमंडलीय मुख्यालय यथा पटना, कोशी, भागलपुर, गया (मगध), पूर्णियाँ, दरभंगा, मुंगेर, सारण एवं 28 जिला मुख्यालय यथा मधुबनी, औरंगाबाद, बांका, किशनगंज, कटिहार, कैमूर, पूर्वी चंपारण, रोहतास, समस्तीपुर, जमुई, गोपालगंज, आरा, नवादा, वैशाली, जहानाबाद, अररिया, सीतामढ़ी, सुपौल, सीवान, मधेपुरा, अरवल, बक्सर, बेगुसराय, सीवान, लखीसराय एवं शेखपुरा में कुल 36 सहकार भवन के निर्माण का कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। जिसमें से 04 प्रमंडलीय मुख्यालय यथा पटना, कोशी (सहरसा), भागलपुर पूर्णियाँ एवं 16 (सोलह) जिला मुख्यालयों यथा मधुबनी, औरंगाबाद, बांका, पूर्वी चम्पारण, रोहतास, किशनगंज, कटिहार, कैमूर (भभुआ), जमुई, गोपालगंज, नवादा, वैशाली, सीतामढी, अररिया, जहानाबाद एवं सुपौल में सहकार भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।	

10.	पैक्स कम्प्युटरीकरण
	सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा केन्द्र प्रायोजित पैक्स कम्प्यूटरीकरण योजना को सहकारिता विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 9581 दिनांक 30.11.2022 द्वारा राज्य में लागू किया गया है। कम्प्यूटरीकरण योजना का उद्देश्य पंचायत स्तर पर गठित पैक्स के माध्यम से संचालित कार्यप्रणाली, व्यवसाय आदि कार्यों को सुगम एवं पारदर्शी बनाना, सटीकता एवं एकरूपता लाना है। साथ ही उनकी दक्षता एवं लाभ प्रदत्ता में वृद्धि करते हुए भविष्य में उन्हे मल्टी सर्विस सेंटर के रूप में विकसित करना है। योजनान्तर्गत राज्य में वर्तमान विद्यमान ग्राम पंचायत के सह अंतक सभी पैक्सों को चरणबद्ध रूप से वित्तीय वर्ष 2022–23 से 2026–27 की अवधि में कम्प्यूटरीकृत करने हेतु केन्द्रांश के रूप में कुल 149.40 करोड़ रूपए एवं राज्यांश के रूप में 99.60 करोड़ रूपए अर्थात कुल 249.00 करोड़ रूपए व्यय किया जाएगा। प्रथम चरण में 4477 पैक्सों से 27 पैक्सों को ई–पैक्स के रूप में घोषित की जा चुकी है तथा शेष अन्य पैक्सों में कम्प्यूटरीकरण की कार्रवाई की जा रही है। द्वितीय चरण में 1601 पैक्सों को कम्प्यूटरीकृत करने का प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया है।

2. योजनाएँ एवं उपलब्धियाँ

I. चतुर्थ कृषि रोडमैप वर्ष 2023–28 हेतु सहकारिता विभाग की प्राथमिकताएँ

1 परिचय

चतुर्थ कृषि रोड मैप (2023–28) के अंतर्गत सहकारी समितियों के माध्यम से राज्य के विकास को समग्रता प्रदान करने हेतु प्राथमिकताओं का निर्धारण इस प्रकार किया गया है कि किसानों की कृषि एवं गैर–कृषि व्यवसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति स्थानीय स्तर पर संस्थागत रूप से निरंतरता के साथ की जा सके।

कृषि रोड मैप के क्रियान्वयन में सहकारिता विभाग की भूमिका किसानों के लिए फसल चक्र की समग्र आवश्यकताओं यथा कृषि उपादान (खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि साख आदि), भंडारण क्षमता का सृजन, कृषि उपकरण बैंक की स्थापना, कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण, खाद्यान्नों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य की उपलब्धता तथा सहकारी प्रक्षेत्र में संस्थागत विकास हेतु प्रशिक्षण के रूप में परिभाषित की गई है। इन महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के संदर्भ में सहकारिता विभाग के द्वारा प्रशंसनीय उपलब्धि हुई है।

पैक्सों एवं व्यापार मंडलों में गोदाम निर्माण–सह–कार्यालय की स्थापना से सहकारी संस्थाओं को भौतिक पहचान मिलने के साथ–साथ व्यवसाय विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। राज्य के कुल 8984 पैक्सों एवं व्यापार मंडलों में से 7101 पैक्सों एवं व्यापार मंडलों में गोदाम–सह–कार्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसके माध्यम से लगभग 15.6645 लाख एम॰टी॰ भंडारण क्षमता का सृजन किया गया हैं। साथ ही 03 लाख एम॰टी॰ भंडारण क्षमता का सृजन प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त 468 पैक्सों एवं व्यापार मंडलों में राईस मिल की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से अधिप्राप्त धान की मिलिंग कर राज्य खाद्य निगम को आपूर्ति की जा रही है।

राज्य सरकार के द्वारा किसानों को 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' का लाभ सुनिश्चित कराने के लिए खाद्यान्न अधिप्राप्ति (धान एवं गेहूँ) का कार्य पैक्सों एवं व्यापार मंडलों को सौंपा गया है। खाद्यान्न अधिप्राप्ति वर्ष 2023–24 में 3.72 लाख किसानों को 30.79 लाख एम.टी. धान की अधिप्राप्ति के विरूद्ध कुल 6722 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है। वर्तमान अधिप्राप्ति वर्ष 2024–25 में अब तक 4.63 लाख किसानों से 39.23 लाख एम.टी. धान की अधिप्राप्ति किया गया है।

राज्य के सहकारी बैंकों के माध्यम से पैक्स के सदस्य किसानों के बीच अल्पकालीन ऋण वितरण का कार्य किसान क्रेडिट कार्ड (के॰सी॰सी॰) के माध्यम से किया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड पर भुगतेय ब्याज दर 7 प्रतिशत है, जिसपर ब्याज में 2 प्रतिशत अनुदान तथा समय पर ऋण भुगतान हेतु 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य के सहकारी बैंकों के द्वारा

83064 किसानों के बीच 248 करोड़ रूपए की राशि अल्पकालीन कृषि ऋण के रूप में वितरित की गई है। नई पहल के तहत JLG के माध्यम से 4909 महिलाओं को 31 करोड़ ऋण वितरण की गई है।

लघु एवं सीमांत किसानों को प्रतिस्पर्द्धात्मक दर पर आधुनिक कृषि तकनीक का लाभ सुनिश्चित कराने तथा कृषि उत्पादकता में वृद्धि हेतु सहकारिता विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना का क्रियान्वयन जा रहा है, जिसके अंतर्गत राज्य के 2976 चयनित पैक्सों में कृषि उपकरण बैंक स्थापित करने की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक 2967 पैक्सों में कुल 16485 संयंत्रों का क्रय किया जा चुका है तथा 676 संयंत्रों का क्रय प्रक्रियान्तर्गत है।

बिहार राज्य फसल सहायता योजना खरीफ 2018 से राज्य में लागू है। उक्त योजना के अंतर्गत कृषि विभाग के पोर्टल पर निबंधित रैयत एवं गैर रैयत किसानों को फसल क्षति की स्थिति में लाभान्वित किया जाता है। खरीफ 2022 मौसम तक कुल 29.05 लाख किसानों के द्वारा इस योजना का लाभ प्राप्त किया गया है, जिसके तहत 1867.58 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है। आगामी कृषि रोड मैप में नए फसलों, जैसे मखाना को इस योजना में समाहित किया जाना प्रस्तावित है, ताकि मखाना उत्पादक किसानों को भी फसल क्षति की स्थिति में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जा सके।

राज्य के सब्जी उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाने एवं ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण एवं उचित मूल्य पर सब्जी की आपूर्ति करने के उद्देश्य से बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना विभाग द्वारा संचालित है। बिहार राज्य अंतर्गत 438 प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सब्जी सहकारी समितियों में 45000 सदस्य आच्छादित है। अब तक सब्जी समितियों द्वारा 90153 एम॰टी॰ सब्जी का व्यवसाय कर 158 करोड़ रूपए का टर्न ओवर किया गया है।

चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत सब्जी तथा शहद उत्पादक सहयोग समितियों को संस्थागत रुप से मजबूत करते हुए अन्तर्विभागीय समन्वय के माध्यम से सब्जी तथा शहद प्रक्षेत्र की संभावनाओं को मूर्त रुप देना शामिल है।

चतुर्थ कृषि रोड मैप में राज्य के सभी पैक्सों में कम्प्यूटराइजेशन का कार्य पूर्ण किया जाना है। वर्तमान में राज्य के 4477 पैक्सों में कम्प्यूटराइजेशन का कार्य प्रक्रियान्तर्गत है। द्वितीय चरण में 1601 पैक्सों का चयन कर स्वीकृति हेतु सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित है।

सहकारिता विभाग के विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में ससमय एवं समग्र जानकारी उपलब्ध कराने तथा इन योजनाओं के संबंध में शिकायतों के ससमय निवारण हेतु विभाग के द्वारा टॉल फ्री कॉल सेंटर–"सुगम" (1800 1800 110) की स्थापना की गई है। अधिप्राप्ति व्यवसाय, बिहार राज्य फसल सहायता योजना एवं अन्य विभागीय योजनाओं के सफलतापूर्वक संचालन में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है।

कृषि रोडमैप वर्ष 2023—28 का वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यः—

1. भौतिक लक्ष्य (प्रस्ताव) —

क्र०सं०	1	2 2023—24	3 2024—25	4 2025—26	5 2026—27	6 2027—28	7 कुल
1	1) कृषि साख में अभिवृद्धि (क) किसान क्रेडिट कार्ड (संख्या)	80000	90000	100000	110000	120000	5,00,000
	(ख) साख प्रवाह (करोड़ में)	250	270	300	330	350	1500
2	पैक्स / व्यापार मण्डल में भण्डारण क्षमता में अभिवृद्धि (लाख मे०टन)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	10.00
3	सहकारी समितियों द्वारा व्यवसाय विकास (क) कृषि आदानों की आपूर्ति हेतु अनुज्ञप्ति	500	500	500	500	500	2,500
	(ख) अधिप्राप्ति (पैक्स एवं व्यापार मंडल को अधिप्राप्ति कार्य में शामिल करने का लक्ष्य)	7500	7600	7700	7800	8000	—
4	प्रशिक्षण / कार्यशाला / संगोष्ठी के माध्यम से क्षमता वर्धन (क) सहकारी प्रशिक्षण संस्थान पूसा का आधुनिकीकरण, निर्माण एवं प्रशिक्षण।	नये भवन का निर्माण एवं पुराने भवन का जिर्णोंद्धार।					
	(ख) पैक्स / व्यापारमंडल के कार्यकारिणी सदस्यों का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण (संख्या)	600	600	600	600	600	3,000
	(ग) पैक्स प्रबंधकों / सदस्यों का वार्षिक प्रशिक्षण (संख्या)	500	2000	2000	2000	2000	8,500
	(घ) विभाग के अधिकारी / कर्मी का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण (संख्या)	300	300	300	300	300	1,500
5	पैक्स कम्प्यूटराइजेशन	2000	2500	3553	—	—	8053
6	बिहार राज्य फसल सहायता योजना अंतर्गत किसानों का निबंधन / आच्छादन (लक्ष्य—लाख में)	25	28	30	32	35	150

वित्तीय लक्ष्य –

लक्ष्य (राशि लाख में)

कार्यक्रम

क्र॰सं॰	1	2	3	4	5	6	7
		2023–24	2024–25	2025–26	2026–27	2027–28	कुल
1	1) कृषि साख में अभिवृद्धि (क) किसान क्रेडिट कार्ड (राशि) (ख) वार्षिक साख प्रवाह ('क' की राशि सहित)	 25000 420000	 27000 440000	 30000 460000	 33000 480000	 35000 500000	 150000 2300000
2	अधिप्राप्ति	950000	950000	1000000	1050000	1100000	5050000
3	पैक्स/व्यापार मण्डल में भण्डारण क्षमता में अभिवृद्धि (लाख मे॰टन)	3761.60	3761.60	3761.60	3761.60	3761.60	18808.00
4	प्रशिक्षण/कार्यशाला/संगोष्ठी के माध्यम से क्षमता वर्धन						
	(क) सहकारी प्रशिक्षण संस्थान पूसा का आधुनिकीकरण, निर्माण एवं प्रशिक्षण।	176	141	–	–	–	317
	(ख) पैक्स/व्यापारमंडल के कार्यकारिणी सदस्यों का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण	50	50	50	50	50	250
	(ग) पैक्स प्रबंधकों/सदस्यों का वार्षिक प्रशिक्षण	10	10	10	10	10	50
	(घ) विभाग के अधिकारी/कर्मी का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण	25	25	25	25	25	125
5	पैक्स कम्प्यूटराइजेशन	6180	7725	10995	–	–	24900
	कुल (क्रमांक 3+4+5 का योग)	**10202.60**	11712.60	14841.60	3846.60	3846.60	44450.00

उपलब्धि

(राशि करोड़ में)

क्र॰सं॰	1	2			3		
		2023–24			2024–25		
		लक्ष्य	उपलब्धि	राशि	लक्ष्य	उपलब्धि	राशि
1	1) कृषि साख में अभिवृद्धि (क) किसान क्रेडिट कार्ड (संख्या) (ख) वार्षिक साख प्रवाह ('क' की राशि सहित)	80000 420000	82884 773205	– –	90000 440000	56454 10382 (28.02.25)	– –
2	अधिप्राप्ति	45 लाख मे0टन	30.79 लाख मे0टन	6798	45 लाख मे0टन	39.23 लाख मे0टन	9120
3	पैक्स/व्यापार मण्डल में भण्डारण क्षमता में अभिवृद्धि (लाख मे॰टन)	2 लाख मे0टन	2.36 लाख मे0टन	169.39	2 लाख मे0टन	2.089 लाख मे0टन	147.37
4	पैक्स कम्प्यूटराइजेशन	2000	2000	–	2500	2477	54.92

II. अधिप्राप्ति

राज्य के कृषकों को उनके कृषि उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त कराने हेतु अधिप्राप्ति एक महत्वपूर्ण योजना है। राज्य में धान के उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। कृषकों को आपात बिक्री (Distress Sale) से बचाने में अधिप्राप्ति का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके द्वारा कृषकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होता है।

- कृषि विभाग में निबंधित किसानों से अधिप्राप्ति कार्य किया जा रहा है।
- वर्ष 2024–25 के लिए 45.00 लाख मे॰टन धान क्रय का सांकेतिक लक्ष्य निर्धारित है।
- भारत सरकार ने इस वर्ष 2024–25 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य साधारण धान के लिए 2300/– रुपये एवं ग्रेड । धान के लिए 2320/– रुपये प्रति क्विंटल अधिसूचित किया गया है।
- इस वर्ष भी किसानों को गनी बैग मद में रू० 25/– प्रति क्विंटल की दर से न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ भुगतान राज्य सरकार के मद से किया जा रहा है, जिसका लाभ किसानों को लगातार प्राप्त हो रहा है।
- रैयत कृषकों के लिए धान बिक्री की सीमा को प्रति कृषक 250 क्विंटल एवं गैर रैयत कृषकों के लिए प्रति कृषक 100 क्विंटल किया गया है।
- अधिप्राप्ति कार्य में पूर्ण पारदर्शिता लाने हेतु Online Procurement Management System के अन्तर्गत Mobile Application विभागीय पोर्टल e-Sahkari माध्यम से अधिप्राप्ति कार्य का संचालन, पर्यवेक्षण किया जा रहा है। साथ ही इसे (Central Food Grains Procurement Portal) CFGPP पर भी अद्यतन किया जा रहा है।
- भारत सरकार द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में इस वर्ष किसानों का भुगतान PFMS प्रणाली के माध्यम से ऑनलाईन 48 घण्टे के भीतर किये जाने का प्रावधान है।
- इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा अधिप्राप्ति कार्य हेतु 8000 करोड़ रुपये ऋण हेतु राजकीय गारंटी दी गई है।
- किसानों को अधिप्राप्ति से संबंधित जानकारी देने एवं उनके शिकायतों के त्वरित निष्पादन हेतु विभाग स्तर पर IVRS Call Centre (सुगम) नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। कॉल सेन्टर का नं0 1800 1800 110 है।
- पारदर्शी व्यवस्था अन्तर्गत किसानों से क्रय किये गये धान एवं उसके भुगतान सहित सभी प्रकार के आंकड़े Public Domain के माध्यम से सर्वसुलभ किये गये है।

खरीफ विपणन मौसम	धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य (लाख मे०टन)	लाभान्वित किसानों की संख्या (लाख मे)	उपलब्धि (मात्रा लाख मे०टन)
2023–24	45.00 (सांकेतिक)	3.72	30.79
2024–25	45.00 (सांकेतिक)	4.63	39.23

III. बिहार राज्य फसल सहायता योजना

- राज्य सरकार द्वारा खरीफ–2018 मौसम से "बिहार राज्य फसल सहायता योजना" लागू की गई है।
- बिहार राज्य फसल सहायता योजना का मूल उद्देश्य फसलों के उत्पादन में ह्रास की परिस्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हुए उन्हें अगली फसल के उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करना, प्रतिकूल परिस्थितियों में किसानों की आय में निरंतरता बनाए रखना तथा किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करते हुए राज्य में कृषि को लाभप्रद व्यवसाय के रूप में विकसित करना है।
- इस योजना का लाभ अन्य योजनाओं यथा–कृषि इनपुट अनुदान योजना एवं डीजल अनुदान योजना के लाभार्थियों को भी प्राप्त होगा।
- योजना के तहत् आवेदन करने हेतु किसानों को किसी प्रकार के शुल्क / प्रीमियम का भुगतान नहीं करना है।
- इस योजना के तहत अनुमान्य सहायता राशि का भुगतान लाभार्थी किसानों को DBT के माध्यम से उनके बैंक खाते मे भुगतान किया जाता है।

बिहार राज्य फसल सहायता योजना की प्रगति

मौसम	निबंधित किसानों की संख्या				लाभार्थी किसानों की संख्या एवं राशि		अभ्युक्ति
	कुल	रैयत	गैर–रैयत	रैयत एवं गैर–रैयत	संख्या	राशि (करोड़ में)	
रबी 2022–23	1169128	129139	1025070	14919	2303	1.88	भुगतान प्रक्रियाधीन।
खरीफ 2023	1596950	78256	858934	659760	सत्यापन एवं भुगतान प्रक्रियाधीन		
रबी 2023–24	775391	40730	378094	356567	सत्यापन प्रक्रियाधीन।		
खरीफ 2024	959502	64483	451751	443268	योग्य ग्राम पंचायतों का चयन प्रक्रियाधीन		

IV. सहकारी अधिसंरचना

(क) भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि

कृषि रोड मैप (2017–22) में पैक्स / व्यापार मंडल में विभिन्न क्षमता के गोदाम निर्माण कराते हुए राज्य के सहकारी क्षेत्र में 10 लाख मे॰टन भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ताकि राज्य के सभी 8463 पैक्स एवं 523 व्यापार मंडल का अपना गोदाम उपलब्ध हो सके।

वर्ष 2023–24 में अबतक (बैकलॉग सहित) 113 पैक्सों एवं व्यापार मंडलों में गोदाम का निर्माण कराया जा चुका है, जिससे 0.654 लाख एम॰टी॰ भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि हुई है। वर्ष 2024–25 में 38 गोदामों का निर्माण हो चुका है।

वर्तमान में सहकारिता विभाग द्वारा राज्य में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब तक 7090 पैक्स / व्यापार मंडलों में 1000 / 500 / 200 मे॰टन क्षमता का गोदाम निर्माण कराया जा चुका है, जिसकी कुल भंडारण क्षमता 15.6645 लाख मे॰टन है, जबकि 501 गोदाम निर्माणाधीन है।

(ख) धान प्रसंस्करण इकाई की स्थापना

राज्य में पैक्स / व्यापारमंडल द्वारा अधिप्राप्ति किये जाने वाले धान के प्रसंस्करण हेतु कृषि रोड मैप में कुल 497 चावल मिल गैसीफायर संयंत्र के साथ RKVY योजना के माध्यम से स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित था, जिसके विरूद्ध 431 चावल मिल.सह.गैसीफायर संयंत्र का निर्माण कार्य पूरा करा लिया गया है।

(ग) ड्रायर की स्थापना

पैक्स / व्यापार मंडलों द्वारा अधिप्राप्ति किये गये धान के नमी प्रबंधन हेतु राज्य में पूर्व से स्थापित चावल मिल के साथ विभाग द्वारा 12 मे॰टन (प्रति पाली) क्षमता के ड्रायर की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कुल 220 स्वीकृत ड्रायर में से 104 का निर्माण पूर्ण हो चुका है, शेष प्रक्रियाधीन है।

V. बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना

बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना का उद्देश्य सहकारी समितियों के माध्यम से राज्य के सब्जी उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाने एवं ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण तथा उचित मूल्य पर सब्जी आपूर्ति किया जाना है। योजना के कार्यान्वयन के लिए त्रिस्तरीय सहकारी संरचना की अवधारणा की गई है जिसमें प्रखंड स्तर पर सब्जी उत्पादक किसानों को सम्मलित कर प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति, कुछ जिलों के प्रखंड स्तरीय प्राथमिक समितियों को मिलाकर सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ तथा राज्य स्तर पर फेडरेशन गठित किया गया है। वर्तमान में 20 जिला, 03 यूनियन (तिरहुत, मिथिला एवं हरित) एवं राज्य स्तर पर बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन (वेजफेड) कार्यरत है। राज्यान्तर्गत 438 प्रखंड स्तरीय सब्जी उत्पादक सहकारी समिति का गठन किया जा चुका है। अब तक 45000 सब्जी उत्पादक किसान सदस्य इन प्रखंड स्तरीय सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से जुड़ चुके हैं।

प्रखंड स्तर पर गठित प्राथमिक समितियों में 10,000 वर्ग फीट भूमि पर स्थानीय उपभोक्ताओं के लिए सब्जी हाट के साथ–साथ प्रबंधन कार्यालय, मिनी कोल्ड स्टोरेज, सॉर्टिंग ग्रेडिंग शेड, सब्जी वाहनों के लिए लिफ्टिंग प्लेटफार्म आदि के निर्माण के साथ–साथ आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था की जानी है। सहकारी संघ पूरे प्रसंस्करण एवं विपणन व्यवस्था के केन्द्र के रूप में कार्य करेगा। उक्त सहकारी संघ प्राथमिक सब्जी सहकारी समितियों से प्राप्त सब्जी का शीत संग्रहण, प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन व्यवस्था का कार्य करेगा।

सदस्यता को सुविधाजनक, व्यापक एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से ऑनलाईन आवेदन की सुविधा प्रदान कर दी गई है। बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजनान्तर्गत सिविल संरचना का निर्माण कार्य 09 PVCS में पूर्ण हो चुका है एवं 13 में निर्माणाधीन है।

इस योजना का ब्रांड–''तरकारी'' है। संघों द्वारा संस्थागत एवं खुदरा बिक्री के माध्यम से सब्जी बिक्री का कार्य संचालित है। पटना संघ, तिरहुत संघ एवं मिथिला संघ द्वारा अबतक (दिनांक–17.02.2025 तक) 90153 मे॰ट॰ की सब्जी व्यवसाय में 158 करोड़ रूपये का turn over किया गया। वर्तमान में पटना शहर में ऑनलाईन www.tarkaarimart.in के माध्यम से सब्जी बिक्री का कार्य भी किया जा रहा है। अब तक कुल 40075 ऑर्डर की सफलतापूर्वक आपूर्ति की गई है। प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति द्वारा की गई सब्जी के क्रय आदेश को देखने एवं उक्त आदेश के विरूद्ध सब्जी आपूर्ति की जाने वाली मात्रा के बारे में सूचना देने के लिए सदस्य किसानों के लिए Tarkaari App विकसित की गई है।

यह योजना बिहार राज्य के कृषि अर्थव्यवस्था में मील का पत्थर साबित होगा।

VI. समेकित सहकारी विकास परियोजना

राज्य में सहकारिता को सबल बनाने हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से समेकित सहकारी विकास परियोजना चलायी जा रही है। इस परियोजना के तहत जिलों में चयनित विभिन्न प्रकार के सहकारी समितियों विशेषकर पैक्सों / व्यापार मंडलों में :–

- अधिसंरचना निर्माण (गोदाम –सह– कार्यालय)।
- व्यवसाय विकास एवं सहकारी क्षेत्र में प्रशिक्षण के माध्यम से मानव संसाधन का विकास।
- मत्स्य पालन, बुनकर, मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन, बकरी पालन, कृषि प्रसंस्करण, महिला विकास, पणन आदि का विकास।

इस योजना अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली से राज्य सरकार को ऋण एवं अनुदान मद में राशि उपलब्ध करायी जाती है। निगम द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले अनुदान का अनुपात करीब 25 प्रतिशत है। यह राशि निगम द्वारा राज्य सरकार को प्रतिपूर्ति (Re-imbursement) के आधार पर उपलब्ध करायी गयी है। योजना के कार्यान्वयन हेतु स्थापना आदि खर्च के लिए प्रावधानित अनुदान की राशि में निगम एवं राज्य सरकार का अनुपात 50–50 का है। इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य स्तर पर निबंधक, सहयोग समितियाँ के अधीन एक अनुश्रवण कोषांग गठित है। जिला स्तर पर परियोजना कार्यान्वयन दल का गठन किया जाता है जिसके प्रमुख महाप्रबंधक होते हैं तथा महाप्रबंधक के अधीन प्रबंधक साख, विकास पदाधिकारी एवं अन्य कार्मिक पदस्थापित होते हैं। इस परियोजना की अवधि पाँच वर्ष निर्धारित है। इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करने के निमित्त राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय समन्वय समिति एवं जिला स्तर पर जिला स्तरीय समन्वय समिति गठित है। राज्य स्तरीय समन्वय समिति के अध्यक्ष प्रधान सचिव / सचिव, सहकारिता विभाग एवं जिला स्तरीय समन्वय समिति के अध्यक्ष उस जिला, जहाँ यह परियोजना कार्यान्वित की जा रही है, के जिला पदाधिकारी होते हैं। परियोजना के सफल संचाल[illegible] हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति / प्रतिनियुक्ति हेतु कार्मिक चयन समिति भी गठित है।

इस परियोजना के तहत् मानव संसाधन के विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। जिस[illegible] अन्तर्गत समितियों के प्रबंधकों, निदेशक मंडल के सदस्यों एवं आम सदस्यों को प्रबंधकीय विका[illegible] वित्तीय प्रबंधन एवं व्यवसाय विकास हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है। उद्देश्य यह है कि समितियों [illegible] निर्वाचित पदाधिकारियों / कर्मचारियों को सहकारिता के सिद्धान्तों एवं व्यवहारिक पक्षों का ज्ञान [illegible] जिसका प्रतिफल समितियों के सफल संचालन एवं होने वाले लाभों के रूप में प्राप्त हो।

समेकित सहकारी विकास परियोजना, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना

वर्त्तमान में कार्यान्वित जिलों का प्रतिवेदन

1. परियोजना लागत एवं व्यय

(राशि लाख रु. में)

क्रम	जिला का नाम	कुल लागत राशि				कुल प्राप्त राशि	अबतक कुल व्यय की गयी राशि
		ऋण / चक्रीय पूंजी	हिस्सा पूंजी / एल.डी. / यू.डी. के अतिरिक्त	अनुदान	कुल योग		
1	2	3	4	5	6	7	10
1	मोतीहारी	4,157.35000	2,316.92000	2,377.46000	8,851.73000	8472.56000	6,786.50610
2	औरंगाबाद	5,422.02000	2,857.26000	3,029.26000	11,308.54000	6,374.41000	4,384.54000
3	बेगूसराय	2,903.81500	1,486.51800	1,846.23200	6,236.56500	5248.00000	3,119.24400
4	बेतिया	3,925.66750	1,999.28375	2,397.17375	8,322.12500	4,112.73000	1,051.31300
5	दरभंगा	4,050.70000	2,025.35000	2,483.13000	8,559.18000	5433.88000	2,461.13600
6	पूर्णियाँ	2,633.62000	1,363.68500	1,689.54500	5,686.85000	3,975.31050	2,510.45600
7	रा.अनु.को	-	-	331.00000	331.00000	238.91000	238.91000
कुल योग :		23,093.17250	12,049.01675	14,153.80075	49,295.99000	33,855.89050	20,552.10510

2. गोदाम निर्माण

क्रम	जिला का नाम	पैक्स गोदाम निर्माण			व्यापार मंडल का गोदाम निर्माण		
		गोदाम निर्माण / मरम्मति का लक्ष्य	कार्यादेश निर्गत	कार्य प्रारंभ / पूर्ण	गोदाम निर्माण / मरम्मति का लक्ष्य	कार्यादेश निर्गत	कार्य प्रारंभ / पूर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मोतिहारी	314	275	275/ 266	15	12	12 / 9
2	औरंगाबाद	149	144	144/ 116	9	8	8 / 7
3	बेगूसराय	124	86	86 / 67	8	4	4 / 3
4	बेतिया	170	101	101 / 93	12	3	3 / 2
5	दरभंगा	218	109	109 / 106	10	3	3 / 3
6	पूर्णियाँ	133	126	126 / 123	14	6	6 / 6
कुल योग :		1108	841	841/771	68	36	36/30

समेकित सहकारी विकास परियोजनान्तर्गत अन्य उपलब्धियाँ

- 49 समितियों में चावल मिल की स्थापना।
- 56 समितियों में गैसीफायर सहित चावल मिल की स्थापना।
- 322 समितियों में पूर्व से निर्मित गोदाम की मरम्मति।
- 73 समितियों में प्याज भंडारण हेतु गोदाम निर्माण।
- 8 दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों को आर्थिक सहायता।
- 145 समितियों में कम्पोजिट यूनिट इकाई की स्थापना
- 5 समितियों में दाल मिल की स्थापना।
- 37 समितियों में एग्री क्लिनीक की स्थापना।
- 787 वर्मी कम्पोस्ट इकाई की स्थापना।
- 15 कार्यालय –सह– बिक्री केन्द्र की स्थापना।
- 1 कोल्ड स्टोरेज की स्थापना।
- 9 सब्जी विपणन केन्द्र की स्थापना।
- 20 ई–सेंटर की स्थापना।
- 60 मुर्गी पालन केन्द्र की स्थापना।
- खगड़िया जिला में 1 सूर्यमुखी प्रोसेसिंग इकाई, 1 सोयाबीन प्रोसेसिंग इकाई एवं 2 मुर्गी दाना आहार इकाई की स्थापना।
- नालंदा जिला में 5 समितियों में ग्रामीण विद्युतिकरण हेतु गैसीफायर की स्थापना।
- मधुबनी जिला में 1 समिति में गैसीफायर सहित मखाना प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना।
- सीवान जिला में 1 बुनकर सहयोग समिति में गैसीफायर की स्थापना।
- भोजपुर (आरा) जिला में 1 व्यापारमंडल में एल॰पी॰जी॰ गोदाम की स्थापना।
- 26 महिला सहयोग समितियों को आर्थिक सहायता।
- 46 बुनकर सहयोग समितियाँ को शेड, लूम, डाई प्लांट इत्यादि के लिए आर्थि सहायता।
- 200 समितियों को सिचाई हेतु पंप सेट (बोर बेल) हेतु आर्थिक सहायता।
- 252 मत्स्य पालकों को हेचरी, जाल, बोट, आईस बॉक्स के साथ साइकिल हेतु आर्थि सहायता।
- 310 मधुमक्खी पालकों को आर्थिक सहायता।
- 50 समितियों को बकरी पालन हेतु आर्थिक सहायता।

VII. सहकार भवन

सहकारिता विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में यथा–जिला सहकारिता पदाधिकारी, कार्यालय, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ का कार्यालय, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ का कार्यालय के अपने भवन नहीं है। यह कार्यालय सामान्यतः निजी परिसरों में किराये पर चल रहे हैं, जिसके फलस्वरूप कार्यालय प्रबन्धन में कठिनाईयाँ आती है तथा अभिलेखों का उचित रख–रखाव नहीं हो पाता है।

विभाग की यह योजना है कि चरणबद्ध तरीके से सभी 38 जिलों के लिए सहकार भवन का निर्माण करा लिया जाय। इस भवन में सहकारिता विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को समेकित रूप से स्थान आवंटन किया जायेगा।

प्रमंडल एवं जिला मुख्यालयों में तीन मंजिला (G+2) सहकार भवन निर्माण कराया जायेगा।

जिला स्तरीय सहकार भवन में भूतल पर केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं सभागार के लिए स्थान निर्धारित है। प्रथम तल पर जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ का कार्यालय, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी एवं अंकेक्षक पदाधिकारी के कार्यालय के लिए स्थान निर्धारित है। सहकार भवन द्वितीय तल पर सुविधा केन्द–सह–प्रतीक्षा कक्ष के लिए स्थान निर्धारित है।

प्रमंडल तथा जिला मुख्यालयों में सहकार भवन निर्माण हेतु मॉडल डी पी आर एवं तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन भवन निर्माण विभाग द्वारा तैयार कर उनके पत्रांक 9205 (भ) अनु० दिनांक 18.11.2024 के द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया है, जिसमें जिला मुख्यालय में सहकार भवन निर्माण हेतु लागत राशि रू० 417.07 लाख एवं प्रमंडल मुख्यालय में सहकार भवन निर्माण हेतु लागत राशि रू० 611.07 लाख है।

सहकार भवन-एक जनोपयोगी व्यवस्था

- जिला एवं प्रमण्डल स्तर पर सहकारिता विभाग से संबंधित सभी कार्यालय एक छत के नीचे
- सहकारी समिति के सदस्यों के लिए सुगम व्यवस्था
- प्रशासनिक समन्वय की सहजता

वर्तमान में सहकार भवन निर्माण हेतु राज्य योजना अन्तर्गत कुल लागत 109.0663 करोड़ से 08 (आठ) प्रमंडलीय मुख्यालय यथा पटना, कोशी (सहरसा), भागलपुर, गया (मगध), पूर्णियाँ, दरभंगा, मुंगेर, सारण एवं 28 जिला मुख्यालय यथा मधुबनी, औरंगाबाद, बाँका, किशनगंज, कटिहार, कैमूर

(भभुआ), पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), रोहतास (सासाराम), समस्तीपुर, जमुई, गोपालगंज, आरा, नवादा, वैशाली (हाजीपुर), जहानाबाद, अररिया, सीतामढ़ी, नालंदा, शिवहर, सुपौल, सीवान, मधेपुरा, अरवल, बक्सर, बेगुसराय, लखीसराय, सीवान एवं शेखपुरा में कुल–36 सहकार भवन के निर्माण का कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसमें से 04 प्रमंडलीय मुख्यालयों यथा पटना, कोशी (सहरसा), भागलपुर, पूर्णियाँ एवं 16 (सोलह) जिला मुख्यालयों यथा मधुबनी, औरंगाबाद, बांका, पूर्वी चम्पारण, रोहतास, किशनगंज, कटिहार, कैमूर (भभुआ), जमुई, गोपालगंज, नवादा, वैशाली, सीतामढी अररिया, जहानाबाद एवं सुपौल में सहकार भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

VIII. मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना

मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के पैक्सों में कृषि उपकरण बैंक स्थापित करना है, जिसके माध्यम से लघु एवं सीमांत कृषकों की आधुनिक कृषि उपकरणों तक पहुँच सुनिश्चित हो सके तथा राज्य की कृषि में मात्रात्मक एवं गुणात्मक वृद्धि संभव हो। इस योजना के लिए प्रथम चरण में प्रति पैक्स 15.00 लाख रुपये की दर से कुल मो॰ 439.05 करोड़ रुपये प्राप्त है। राज्य सरकार द्वारा योजनान्तर्गत प्रत्येक पैक्स को कृषि यंत्र क्रय करने हेतु 50% ऋण (ब्याज सहित) एवं 50% अनुदान के रुप में राशि उपलब्ध करायी जा रही है। पैक्सों को ऋण के रुप में उपलब्ध करायी जाने वाली राशि 05 (पाँच) वर्षों में 10 (दस) अर्द्धवार्षिक किस्तों में ब्याज सहित वसूल की जानी है।

योजनान्तर्गत पूर्व में प्रावधानित राशि का संपूर्ण उपयोग नहीं होने के कारण मंत्रिपरिषद द्वारा अवशेष राशि का उपयोग अर्हता पूरी करने वाले प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति (PVCS) में कृषि उपकरण बैंक स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 तक राज्य के कुल 2976 पैक्सों का चयन किया गया है।

योजना के तहत अबतक 2967 पैक्सों द्वारा GeM Portal पर विभिन्न प्रकार के 16910 कृषि यंत्रों के क्रय हेतु निविदा आमंत्रित किया गया है तथा 16947 कृषि यंत्रों के क्रय हेतु क्रयादेश निर्गत किया जा चुका है। पैक्सों को विभिन्न प्रकार के 15892 कृषि यंत्रों की आपूर्ति की जा चुकी है।

IX. वार्षिक योजना

वार्षिक योजना वर्ष 2024–25 के लिए राज्य स्कीम अन्तर्गत 100467.75 लाख रू० (पुनरीक्षित) का उपबंध उपलब्ध है जिसके विरूद्ध **66121.19** लाख रू० का व्यय किया गया। **केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम अन्तर्गत 2.00 लाख रूपया का उपबंध उपलब्ध है।**

वर्ष 2024–25 के लिए मदवार उपबंधित राशि एवं व्यय की गयी राशि निम्नवत् है :– (04.03.2025 तक)

(राशि लाख रू० में)

क्र० सं०	परियोजना का नाम		उपबंधित राशि: संशोधित उदव्यय	उपबंधित राशि: केन्द्र प्रायोजित योजना	उपबंधित राशि: कुल राशि	व्यय की गयी राशि
			3	4	5	6
1	2		0.10		0.10	
1	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (क्षतिपूर्ति)		0.10		0.10	
2	मौसम आधारित फसल बीमा योजना (प्रीमियम)		0.10		0.10	
3	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (प्रीमियम)		0.00		0.00	
4	प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (प्रीमियम)		34960.01		45578.01	34734.90
5	बिहार राज्य फसल सहायता योजना		0.10		0.10	
6	एन०सी०डी०सी० सम्पोषित समेकित सहकारी विकास परियोजना		100.25		100.00	
7	सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों की मरम्मति		755.00		755.00	500.00
8	विभागीय पदाधिकारियों / कर्मचारियों का प्रशिक्षण		210.00		200.00	17.80
9	सहकारिता विभाग के कार्यालयों का जीर्णोद्धार		1416.27		1416.27	45.87
10	सूचना एवं प्रचार के लिए सहकारिता विभाग द्वारा व्यय		22025.30		15487.30	11726.74
11	गोदाम निर्माण हेतु सहकारी समितियों को अनुदान		1500.00		1500.00	1500.00
12	बिहार राज्य भण्डार निगम को गोदाम निर्माण हेतु अनुदान		0.10		0.10	
13	बिहार राज्य सहकारिता बैंक पटना को कृषि साख स्थिरीकरण निधि हेतु ऋण (अधिप्राप्ति)		6810.00		5250.00	1673.57
14	सब्जी आधारित सहयोग समितियों को प्रोत्साहन (अनुदान)		2270.00		1750.00	557.85
15	सब्जी आधारित सहयोग समितियों को प्रोत्साहन (निवेश)		1169.75		1200.00	
16	केन्द्रीय सहकारी बैंकों को अनुदान		0.10		0.10	
17	केन्द्रीय सहकारी बैंक के हिस्सा–पूँजी में अंशदान		2000.00		2000.00	308.34
18	सहकारिता विभाग के भवनों का निर्माण (माँग सं०–03)		0.10		0.10	
19	पैक्सों / व्यापारमंडलों में ड्रायर निर्माण हेतु अनुदान		21455.72		19455.72	12391.54
20	प्रबंधकीय अनुदान		397.00		397.00	
21	मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना					
केन्द्र प्रायोजित योजना		केन्द्रांश	63.95		63.95	10.91
22	निबंधक, स० स० एवं जिला स्तरीय कार्यालयों का				12.91	
	कम्प्यूटरीकरण (60%) केन्द्रांश	राज्यांश	12.91		150.00	
	(40%) राज्यांश	केन्द्रांश	150.00			
	सॉफ्टवेर डवलप्मेन्ट (100%) केन्द्रांश	केन्द्रांश			545.89	
23	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	राज्यांश	545.89		2763.00	1465.78
		केन्द्रांश	2763.00		642.00	642.00
24	पैक्स कम्प्यूटरीकरण	राज्यांश	1842.00		99267.75	66121.19
			100467.75			
(क) राज्य स्कीम का योग					1.00	
केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम			1.00		1.00	
1	मुख्यमंत्री हरित कृषि संयत्र योजना (अनुदान)		1.00		2.00	
2	मुख्यमंत्री हरित कृषि संयत्र योजना (चक्रीय पूँजी)		2.00			
(ख) केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम का योग						

X. पैक्सों में व्यावसायिक विविधीकरण की योजनाएँ

सहकारिता में सर्वसमावेशी आर्थिक विकास सुनिश्चित करने की अपार क्षमता है। इसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 6 जुलाई 2021 को भारत सरकार द्वारा 'सहकार से समृद्धि' के उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक अलग 'सहकारिता मंत्रालय' का गठन किया गया। मंत्रालय के गठन के उपरांत इसने 'सहकार से समृद्धि' के तहत सहकारिता के विकास के लिए कई योजनाओं पर कार्य करना शुरू किया। इनमें सहकारी समितियों को गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (GeM) पर लाना, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का कम्प्यूटरीकरण, बहु–राज्यीय सहकारी समिति, पैक्सों को बहु–उद्देश्यीय सहकारी समिति के रूप में विकसित करना, पैक्सों में जन–औषधि केन्द्र की स्थापना, पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट में पैक्सों को प्राथमिकता इत्यादि शामिल है। इन योजनाओं के अतिरिक्त पैक्सों में आदर्श उपविधि लागू करना, विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के निर्माण भी पैक्सों के सुदृढीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस कार्य को सुगम बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सहकारिता डाटाबेस तैयार किया जा रहा है।

राष्ट्रीय सहकारिता डाटाबेस

- राष्ट्रीय सहकारिता डाटाबेस के निर्माण का प्राथमिक लक्ष्य और उद्देश्य सूचना आधारित एक प्रणाली विकसित करना है, जहाँ एक क्लिक पर समितियों से संबंधित सभी सूचनाएँ प्राप्त की जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर पहुंच और सभी क्षेत्रों में गतिविधियों के समन्वय को मजबूत करके देश में सहकारी आंदोलन को एक नए स्तर पर ले जाना है। इसके तहत किए जा रहे कार्य निम्नवत है: –
- प्रथम चरण में पैक्स, डेयरी एवं फिशरीज सहकारी समितियों को सहकारी पोर्टल पर मैपिंग किया गया।
- द्वितीय चरण में सभी राष्ट्रीय सहकारी समितियों एवं संघों को सहकारी पोर्टल पर मैपिंग किया गया।
- तृतीय चरण में अन्य प्रकार की सभी सहकारी समितियों को सहकारी पोर्टल पर मैपिंग किया गया।
- सहकारी समितियों से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के कुल 25868 समितियों से संबंधित डाटा का ऑनलाईन पोर्टल पर संग्रहण किया जा चुका है।

पैक्सों में कॉमन सर्विस केन्द्र की स्थापना

ई–सेवाओं की बेहतर पहुंच के लिए पैक्सों में कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना की जा रही है।

इस योजना के तहत पैक्स ग्रामीण नागरिकों को बैंकिंग, बीमा, आधार नामांकन, स्वास्थ्य सेवाएँ, कानूनी सेवाएँ, कृषि उपकरण जैसे कृषि उपादान, पैन कार्ड, आईआरसीटीसी, रेल, बस, हवाई टिकट बुकिंग, आरटीपीएस पर उपलब्ध सेवाओं जैसी 300 से अधिक सेवाएँ प्रदान कर सकेंगे। पैक्स कम्प्यूटरीकरण योजना पैक्सों को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में काम करने में मदद करेगा।

अब तक 5841 पैक्सों में कॉमन सर्विस केन्द्र की स्थापना किया जा चुका है, जिसमें से 3117 पैक्सों का आई0डी0 क्रियाशील हो चुका है।

पैक्सों के द्वारा नए किसान उत्पादक संगठन (FPOs) का गठन

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में 1100 अतिरिक्त एफपीओ के आवंटन का कार्य लिया गया है। पैक्स भी अब FPO के रूप में कृषि संबंधित अन्य आर्थिक कार्यकलाप करने में सक्षम होगी। इसके माध्यम से सहकारी समिति अपने सदस्यों को आवश्यक बाजार लिंकेज प्रदान कर उनकी उपज के उचित मूल्य दिलाने में भी सहायक होगी। वित्तीय वर्ष 2023–24 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से 100 पैक्सों में FPO निबंधित करने का लक्ष्य दिया गया था जिसमें से 100 पैक्सो का निबंधन 2024–25 में हो चुका है।

पैक्स के द्वारा एलपीजी का वितरण

ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी का वितरण केन्द्र की पर्याप्त पहुंच नहीं है। परंतु पैक्सों को एलपीजी वितरण केन्द्र बनाए जाने के बाद ग्रामीण क्षेत्र के लोगों तक इसकी पहुंच आसान हो जाएगी। इससे पैक्सों को अपनी आर्थिक गतिविधियों को बढाने का श्रोत मिलेगा और ग्रामीण स्तर पर रोजगार के नवीन अवसर उपलब्ध होंगें।

पैक्सों में पेट्रोल पम्प के रिटेल आउटलेट

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पैक्सों में रिटेल आउटलेट खो की सहमति दे दी गई है। वर्तमान में तीनों कम्पनियों के द्वारा CC2 कैटेगरी के तहत पैक्स आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। पैक्सों में पेट्रोल पम्प के रिटेल आउटलेट की स्थापना के साथ पैक्सों के मुनाफे में वृद्धि होगी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगें। इसके मा से पैक्सों को बहुद्देश्यीय व्यावसायिक संस्था के रूप में विकसित किए जाने में सहायता मिलेगी।

अभी तक 12 पैक्सों द्वारा आवेदन दिया गया है, जिसमें से भारत पेट्रोलियम कॉरपो लि०–5, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि०–1 एवं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लि०–6 ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

पैक्सों में जन औषधि केन्द्र की स्थापना

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से पैक्सों में जन औषधि केन्द्र खोले जाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत सस्ती जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता सामान्य एवं ग्रामीण क्षेत्रों तक आसानी से हो जाएगी। इस योजना के तहत उत्पाद बास्केट में 1759 दवाएं और 280 सर्जिकल उपकरण शामिल हैं, जिन्हे जन औषधि केन्द्र के माध्यम से बेचा जा सकता है। इसके लिए सक्षम प्राधिकार से ड्रग लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इससे ग्रामीण स्तर पर सस्ती जेनरिक दवाइयाँ आम लोगों को उपलब्ध हो सकेगा। इसके अतिरिक्त पैक्सों के आर्थिक सुदृढीकरण के साथ–साथ रोजगार के अतिरिक्त अवसर भी सृजित हो सकेंगें।

अभी तक इस योजना के तहत 45 पैक्सों द्वारा ड्रग लाइसेंस हेतु आवेदन किया गया है, जिसमें से 18 पैक्सों को ड्रग लाइसेंस प्राप्त हो चुका है एवं 14 जन औषधि केन्द्र खोले जा चुके हैं।

प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र के रूप में पैक्स

भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में कार्यशील पैक्स को उर्वरक खुदरा विक्रेता के रूप में कार्य करने हेतु पात्र बनाए जाने, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्रों व उर्वरक और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन उद्यमियों के रूप में भी कार्य करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही ड्रोन का उपयोग संपत्ति सर्वेक्षण के लिए भी किया जा सकेगा। इन प्रयासों से किसानों को पैक्स स्तर पर उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चत होगी तथा पैक्स के लिए व्यवसाय के नए अवसर सृजित होंगें।

बिहार में 2261 पैक्सों को खाद बीज व्यवसाय का अनुज्ञप्ति प्राप्त है। जिसमें से अभी तक 1483 पैक्सों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र के रूप में विकसित किया जा चुका है।

पैक्सों में Micro-ATM एवं सदस्यों को Rupay किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा

पैक्सों को व्यापार में सुगमता, पारदर्शिता, वित्तीय समावेश सुनिश्चित करने हेतु नाबार्ड के सहयोग से 'घर बैठे वित्तीय सेवाएं' प्रदान करने के लिए Micro-ATM दिए जाने की योजना है। इससे बैंक और पैक्सों के आर्थिक क्रियाकलापों में वृद्धि होगी।

ग्रामीण सहकारी बैंकों की पहुंच तथा क्षमता का विस्तार करने तथा पैक्सों के सदस्यों को यथावश्यक चल निधि उपलब्ध कराने हेतु संबंधित जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों में पैक्स सदस्यों के खाते खोले जा रहें हैं तथा नाबार्ड के सहयोग से खाताधारकों को Rupay किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। Rupay किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पैक्स सदस्यों को उचित दर पर ऋण की सुविधा उपलबध होगी। साथ ही इस कार्ड का उपयोग अन्य वित्तीय भुगतान के लिए भी किया जा सकेगा।

बहुराज्यीय सहकारी समिति की सदस्यता के संबंध में

सहकार से समृद्धि को साकार करने हेतु भारत सरकार ने मल्टी स्टेट को–ऑपरेटिव सोसाईटी एक्ट, 2002 के तहत नेशनल एक्सपोर्ट को–ऑपरेटिव सोसाईटी लि० (NCEL), नेशनल ऑर्गेनिक को–ऑपरेटिव सोसाईटी (NCOL) एवं भारतीय बीज सहकारी समिति लि० (BBSSL) की स्थापना को मंजूरी दी है। वर्तमान में NCOL के तहत 247 समितियों द्वारा सदस्यता हेतु आवेदन दिया गया है जिसमें से 165 समितियों को सदस्यता प्रदान की जा चुकी है, NCEL के तहत 278 समितियों द्वारा सदस्यता हेतु आवेदन दिया गया है जिसमें से 122 समितियों को सदस्यता प्रदान की जा चुकी है एवं BBSSL के तहत 581 समितियों द्वारा सदस्यता हेतु आवेदन दिया गया है जिसमें से कुल 418 समितियों को सदस्यता प्रदान की जा चुकी है।

3. सहकारी कृषि साख संरचना एवं उपलब्धियाँ

बिहार एक कृषि प्रधान राज्य रहा है। यहाँ की लगभग 80 प्रतिशत आबादी कृषि पर ही आधारित है। खास कर बिहार विभाजन के पश्चात् इस राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि पर ही निर्भर है। कृषि पर निर्भर रहने वाले विशेष कर सीमान्त कृषकों को खरीफ एवं रबी फसल के मौसम में अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराने, कृषि इनपुट की व्यवस्था करने तथा कृषि उपज की विपणन की व्यवस्था सहकारिता विभाग के माध्यम से की जा रही है तथा सहकारिता विभाग इसमें सतत् प्रयत्नशील है।

I. अल्पकालीन सहकारी कृषि साख (त्रिस्तरीय ढ़ाँचा)

सहकारिता के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन कृषि ऋण मुहैया कराने के निमित्त सहकारी समिति की संरचना त्रिस्तरीय है। राज्य स्तर पर बिहार राज्य सहकारी बैंक लि0, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 एवं प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स) गठित है। बिहार राज्य सहकारी बैंक लि0 नाबार्ड से पुनर्वित्त सुविधा प्राप्त कर तथा अपने संसाधनों से जिला स्तरीय केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से पैक्स के कृषक सदस्यों को पर्याप्त मात्रा में तथा ससमय अल्पकालीन कृषि साख उपलब्ध कराती है। अल्पकालीन कृषि साख को सरल बनाने एवं ससमय उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही अल्पकालीन कृषि साख मुहैया कराया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के प्रारम्भ से अबतक 11,65,810 कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत कर 196042.87 लाख रुपये स्वीकृत किया गया है। भारत सरकार की घोषणा के अनुसार सभी किसान क्रेडिट कार्डधारी कृषकों को Debit-cum-Rupay कार्ड मुहैया कराया जा रहा है। इस प्रकार राज्य सहकारी बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं पैक्स सहकारी आन्दोलन के परिकल्पना के अनुरुप कृषि साख व्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अल्पकालीन साख संरचना को सुदृढ़ एवं जीवन्त बनाने के उद्देश्य से वैद्यनाथन कमिटी के अनुशंसा के आलोक में अल्पकालीन साख संरचना को और अधिक प्रजातांत्रिक, सुदृढ एवं जीवन्त बनाया जा रहा है।

विगत 3 वर्षों में अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण की स्थिति निम्नवत् है:– (रुपये लाख में)

वर्ष	लक्ष्य	सदस्य की संख्या	उपलब्धि	लक्ष्य के अनुरुप उपलब्धि का प्रतिशत
2022–23	51250	92612	27160.64	53.00 %
2023–24	49669	83064	24800.00	49.93 %
2024–25 (24.02.2025 तक)	58700	49079	18078.27	30.80 %

विगत 3 वर्षों का अल्पकालीन सहकारी ऋण का माँग एवं वसूली की प्रगति निम्नवत् है:–

(रुपये लाख में)

वर्ष	माँग	वसूली	अवशेष	प्रतिशत
2021–22	70823.18	20831.87	49991.31	29.41 %
2022–23	71662.53	11999.51	59663.02	16.74 %
2023–24	75098.51	19657.33	55441.18	26.18 %

II. राज्य सहकारी बैंक लि०

अल्पकालीन सहकारी कृषि साख की त्रिस्तरीय संरचनात्मक बिहार राज्य सहकारी बैंक लि०, शीर्ष सहकारी संस्था है, जो राज्य स्तर पर सहकारी कृषि साख संरचना का नेतृत्व प्रदान कर रहा है। यह बैंक नाबार्ड से पुनर्वित्त सुविधा प्राप्त कर तथा अपने संसाधनों से जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से पैक्सों के कृषक सदस्यों को अल्पकालीन कृषि साख (ऋण) उपलब्ध कराने में अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रहा है।

राज्य अन्तर्गत बिहार राज्य सहकारी बैंक की 13 शाखायें कार्यरत है, जो पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत है। इन शाखाओं द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के साथ–साथ गैर कृषि यथा वैयक्तिक ऋण, उपभोक्ता ऋण, गृह निर्माण, शिक्षा ऋण एवं कार ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है। विगत कुछ वर्षों में इस बैंक की कार्य संस्कृति एवं कार्य प्रणाली में गुणात्मक परिवर्तन आया है, जिसके फलस्वरूप यह बैंक कई वर्षों से लाभ में है।

इस बैंक का मुख्य उद्देश्य राज्य के लघु एवं सीमान्त कृषकों को खरीफ एवं रबी फसल के लिए उनके साख जरूरतों को पूरा करने हेतु जिला स्तरीय केन्द्रीय सहकारी बैंक और पंचायत स्तरीय प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्सों) के माध्यम से अल्पकालीन कृषि ऋण मुहैया कराने के साथ–साथ वेतनभोगी एवं कमजोर तबके के लोगों को भी वांछित ऋण उपलब्ध कराना है। राज्य सहकारी बैंक के सभी शाखाओं में कोर बैंकिंग लागू है। वर्तमान में शीर्ष बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के सभी नियामक मापदण्डों का अनुपालन कर रही है।

विगत चार वर्षों में राज्य सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति निम्नवत हैः–

विगत चार वर्षों में राज्य सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति निम्नवत हैः–

(Rs.in Lakh)

Sl. No.	Particulars	As on 31-03-2021	As on 31-03-2022	As on 31-03-2023	As on 31-03-2024
1	Deposits	119897.28	130784.44	144744.35	184192.1
2	Loan Outstandig	**354745.05**	**436325.02**	**592977.11**	**446097.59**
3	Share Capital	3621.48	4226.74	4777.62	10000
4	Reserve & Surplus	64552.89	72132.62	79494.87	89474.16
5	Borrowings	296291.35	436239.59	631335.67	340719.74
6	**Gross NPA**	**6599.54**	**10150.75**	**12817.43**	**14027.72**
7	**NPA %**	**1.86%**	**2.32%**	2.16%	3.14%
8	CRAR	**68.51%**	**53.24%**	48.87%	67.95%
9	**Net Profit**	**7677.39**	**10419.37**	**7615.85**	**6763.67**

III. केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०

केन्द्रीय सहकारी बैंक त्रिस्तरीय अल्पकालीन साख संरचना में राज्य सहकारी बैंक एवं पैक्स के बीच कड़ी का काम करता है। यह मध्यवर्त्ती वित्त पोषक बैंक है। यह बैंक प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स) के केन्द्रीय समिति के रूप में अल्पकालीन सहकारी कृषि साख संरचना में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। केन्द्रीय सहकारी बैंक के क्षेत्राधीन में सभी पैक्स अनिवार्य रूप से उसके सदस्य होतं हैं। राज्य में कुल 23 (तेईस) केन्द्रीय सहकारी बैंक कार्यरत है। राज्य के सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग अनुज्ञप्ति प्राप्त है। राज्य में तीन केन्द्रीय सहकारी बैंक यथा सारण, दरभंगा एवं मधेपुरा परिसमापनाधीन है। इन जिलों में कृषकों को अल्पकालीन कृषि साख उपलब्ध कराने के निमित्त राज्य सहकारी बैंक की शाखा/विस्तारित शाखा कार्य कर रहा है। इन जिलों में केन्द्रीय सहकारी बैंक नहीं है उन जिलों में केन्द्रीय सहकारी बैंक गठित करने की कार्रवाई की जा रही है। सभी केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा उनके शाखा कम्प्यूटरीकृत है। साथ ही सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों के शाखाओं में कोर बैंकिंग लागू है।

केन्द्रीय सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति निम्नवत् हैः—

Statement showing District Central Co-operative Bank wise financial position for the year 2023-24 as on 31.03.2024

(Amount Rupees in lakh)

Sl. No.	Name of DCCB	Deposit	Loans & Advances Outstanding	Share Capital	Reserve & Surplus	Borrowings
1	Nalanda	20900.51	25784.45	900.45	1548.29	17615
2	Patliputra	41740.83	29689.20	1014.41	7594.67	18889.34
3	Magadh	11855.73	22202.91	1790.65	1936.29	17578.59
4	Nawada	11514.96	23148.60	3622.17	2800.8	16558.85
5	Ara	53045.43	23097.36	1741.13	1747.95	17466.47
6	Sasaram-Bhabhua	20925.80	50960.52	4497.53	2409.73	46263.47
7	Bhagalpur	18350.96	14394.22	8644.86	5783.12	11053.35
7	Munger-Jamuui	12061.02	24339.72	5984.65	-1871.29	19922.16
8	Begusarai	23516.93	8314.52	925.51	1767.30	8621.04
9	Purnea	12891.93	21467.33	3909.31	3372.96	12721.98
10	Muzaffarpur	8555.52	8497.41	524.77	466.89	6791.78
11	Sitamarhi	14936.69	8483.94	347.97	1548.83	5601.06
12	Rohika	9969.3	20691.20	3816.83	2648.82	19266.8

13	Bettiah	16636.62	18498.44	620.87	2554.67	9044.53
14	Motihari	11513.14	20823.88	1806.8	4153.27	18438.83
15	Siwan	36608.72	12740.29	996.53	1986.11	5142.54
16	Gopalganj	39239.42	8710.56	1136.5	5697.47	7928.42
17	Aurangabad	12902.21	28316.13	2257.52	3194.05	16989.37
18	Khagaria	2664.39	10532.77	899.73	1331.96	13281.34
19	Katihar	5596.53	11019.47	3586.91	994.01	7869.02
20	Vaishali	6821.24	4804.05	984.93	1864.69	2630.61
21	Samastipur	11884.42	11783.34	954.69	721.19	6294.3
22	Supaul	2957.78	8767.24	710.67	469.63	6715.53
23	BSCB	184192.1	446097.59	10000.00	89474.16	340719.74
	Total	**591282.18**	**863165.14**	**61675.39**	**144195.57**	**653404.12**

IV. प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स)

राज्य में सहकारी समितियों की संरचना त्रिस्तरीय है। राज्य स्तर पर बिहार राज्य सहकारी बैंक लि०, जिला स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि० एवं प्राथमिक स्तर पर कुल–8463 प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स) कार्यरत है। पैक्स राज्य के कृषकों के साथ साथ राज्य के विकास का आधार स्तंभ है। पैक्स का प्रबंधन 13 सदस्यीय समिति द्वारा किया जाता हैं। जिनका निर्वाचन प्रत्येक पाँच वर्ष पर बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा कराया जाता है। पैक्स के प्रबंध समिति में 50 प्रतिशत महिलाओं के लिए पद आरक्षित है। 2 पद पिछड़ा वर्ग 2 पद अतिपिछड़ा वर्ग, 2 पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है।

पैक्स का मुख्य कार्य अपने सदस्यों के लिए आगत (Input) की व्यवस्था करना एवं उनके उत्पादों के विपणन में सहयोग करना है। इस क्रम में पैक्स द्वारा अल्पकालीन सहकारी साख संरचना की प्राथमिक इकाई के रूप में अपने सदस्यों को सहकारी बैंक के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड ऋण उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही उर्वरक, बीज, कीटनाशक इत्यादि की उपलब्धता हेतु भी कार्य किया जाता है। पैक्सों द्वारा आधुनिक कृषि यंत्रों की सेवा लघु एवं सीमान्त कृषकों तक पहुँचाया जा रहा है। पैक्सों द्वारा जमावृद्धि व्यवसाय एवं जन वितरण प्रणाली के दूकानों का भी संचालन किया जाता है।

पैक्सों द्वारा सबसे महत्वपूर्ण रुप से सरकार द्वारा संचालित अधिप्राप्ति कार्य के तहत किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनके उत्पादों (धान / गेहूँ) का क्रय किया जाता है। पैक्सों द्वारा सभी लघु एवं सीमांत किसानों तक कृषि कार्य संबंधी सभी सुविधाएँ पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है।

राज्य में पैक्स की सदस्यता से वंचित परिवार के सदस्यों को सदस्यता दिलाने हेतु विभाग द्वारा ऑन लाईन सदस्यता की व्यवस्था की गयी है। विभागीय वेबसाईट www.cooperative.bih.nic.in के माध्यम से कोई भी इच्छुक व्यक्ति ऑन लाईन आवेदन कर पैक्स का सदस्य बन सकता है। इसके तहत अब तक 4.6 लाख आवेदकों को पैक्स का सदस्य बनाया जा चुका है। इस प्रकार पैक्सों में कुल सदस्यों की संख्या 1.59 करोड़ हो गयी है। इनमें महिला सदस्यों की संख्या लगभग 36 लाख एवं अनुसूचित जाति / जनजाति के 17.78 लाख सदस्य बनाये गये है; जो सहकारिता से जुड़ कर अपनी आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति में सहयोग प्राप्त कर रहे है।

V. सहकारी ऋण वितरण

Annual Credit Plan (ACP) अंतर्गत ऋण वितरण–

राज्य के कृषक सदस्यों को सहकारी बैंक द्वारा अल्पकालीन सहकारी ऋण उपलब्ध कराया जाता है। सहकारी बैंकों हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 में Annual Credit Plan (ACP) अंतर्गत निर्धारित कुल लक्ष्य 4066 करोड रुपये के विरूद्ध 10233 करोड रुपये का वित्त पोषण किया गया, जो लक्ष्य का 251.67 प्रतिशत है। वर्ष 2022–23 में Annual Credit Plan (ACP) अंतर्गत निर्धारित कुल लक्ष्य 4276 करोड़ रुपये के विरूद्ध 10312 करोड़ रुपये का वित्त पोषण किया गया, जो लक्ष्य का 241.15 प्रतिशत है। वर्ष 2023–24 में Annual Credit Plan (ACP) अंतर्गत निर्धारित कुल लक्ष्य 6178 करोड के विरूद्ध 7732 करोड रुपये का वित्त पोषण किया गया, जो लक्ष्य का 125 प्रतिशत है।

किसान क्रेडिट कार्ड :–

वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल 87358 कृषकों को 225.56 करोड़ रु० (दो सौ पच्चीस करोड छप्पन लाख) का किसान क्रेडिट कार्ड ऋण वितरित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल 92612 कृषकों को 271.60 करोड़ रु० (दो सौ एकहत्तर करोड साठ लाख) का किसान क्रेडिट कार्ड ऋण वितरित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल 83064 कृषकों को 247.94 करोड़ रु० का किसान क्रेडिट कार्ड ऋण वितरित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में दिनांक 03.02.2025 तक कुल 46259 कृषकों को 171.58 करोड़ रु० का किसान क्रेडिट कार्ड ऋण वितरित किया गया है।

4. सहकारी समितियों का लेखा अंकेक्षण

बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 एवं बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 (यथा संशोधित, 2013) के अन्तर्गत निबंधित सहकारी समितियों के लेखा का प्रत्येक वर्ष अंकेक्षण, वैधानिक अनिवार्यता है। निबंधक, सहयोग समितियाँ के नियंत्रणाधीन अंकेक्षण पदाधिकारियों द्वारा सहकारी समितियों के वैधानिक अंकेक्षण, जाँच अंकेक्षण एवं विशेष अंकेक्षण सम्पन्न किये जाते हैं। सहकारी समितियों के अंकेक्षण का मूल उद्देश्य समितियों के वार्षिक लेखाओं का अधिनियम, नियमावली एवं समिति के उपविधि प्रावधानों के अन्तर्गत जाँच कर समिति की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन/सत्यापन/त्रुटियों/अनियमितताओं/दायित्वों का निर्धारण एवं सुधारात्मक उपायों का परामर्श देना है। सहकारी समितियों का अंकेक्षण हेतु विभागीय अंकेक्षकों के अलावे चार्टड एकाउन्टेन्ट्स का पैनल भी निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा स्वीकृत है, जिन्हें परिपत्रानुसार समितियों के अंकेक्षण का दायित्व सौपा गया है।

वर्तमान वर्ष 2023–2024 एवं विगत् 2 वर्षो (2021–2022 एवं 2022–23) में सहकारी समितियों में अंकेक्षण की प्रगति निम्नवत् है :–

क्र०सं०	समितियों की कुल संख्या		अंकेक्षण वर्ष	अंकेक्षण की स्थिति	
	पैक्स	व्यापार मंडल		पैक्स	व्यापार मंडल
1	8463	523	2021–22	8068	423
2			2022–23	7982	406
3			2023–24	5791	363
			(08.03.2025 तक)		

बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 एवं बिहार स्वावलम्बी सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1996 (यथा संशोधित, 2013) के अनुसार सहकारी समितियाँ अपनी लेखाओं का अंकेक्षण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम–से–कम एक बार, इस हेतु राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा अनुमोदित नामावली के अंकेक्षक द्वारा करायेगी। ऐसा अंकेक्षक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अधिनियम, 1949 के अन्तर्गत या तो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट होगा या निबंधक के कार्यालय का अंकेक्षक होगा।

प्रत्येक सहकारी समिति के लेखाओं का अंकेक्षण सहकारी समिति के सामान्य निकाय द्वारा नियुक्त उप–धारा (2) में विर्निर्दिष्ट अंकेक्षक अथवा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स फर्म द्वारा किया जायेगा।

जहाँ कोई सहकारी समिति समय पर अपने वार्षिक लेखाओं का अंकेक्षण कराने में असफल हो, वहाँ नियत तारीख से (90) नब्बे दिनों के भीतर निबंधक, सहकारी समिति के लेखाओं का अंकेक्षण करायेंगे। ऐसे अंकेक्षण संचालन करने का खर्च सहकारी समिति द्वारा वहन किया जायेगा।

5. प्रशिक्षण एवं कार्यशाला

बिहार में सहकारी समितियों में प्रगति के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों की सहकारी समितियों का भ्रमण एवं कार्यशाला / प्रशिक्षण का आयोजन :–

दिनांक–26.12.2024 से 03.01.2025 तक तमिलनाडु राज्य के विभिन्न सहकारी संस्थानों का अध्ययन भ्रमण हेतु माननीय मंत्री के नेतृत्व में तीन सदस्यीय अध्ययन दल द्वारा भ्रमण किया गया, जहाँ "दी तमिलनाडु स्टेट एपेक्स को–ऑपरेटिव बैंक" के कार्यप्रणाली एवं व्यवसाय का अध्ययन किया गया। तमिलनाडु स्टेट फेडरेशन ऑफ को–ऑपरेटिव सोसाईटी (टैनफेड) तमिलनाडु में उर्वरकों एवं कृषि इनपुट्स की केन्द्रीय खरीद एवं वितरण व्यवसाय का अध्ययन किया गया। मरथंडम मधुमक्खी पालक सहकारी समिति में शहद उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित कार्यकलापों का अध्ययन किया गया।

दिनांक–10.06.2024 को पैक्सों में व्यावसायिक विविधिकरण हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेन्टर, गया में किया गया जिसमें गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल जिलों के सभी पैक्स अध्यक्ष एवं प्रबंधकों ने भाग लिया गया। दिनांक–25.12.2024 को दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय प्रबन्ध संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना में नई बहुउद्देशीय समितियों के उन्मुखीकरण हेतु राज्यस्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें पटना जिला के 100 पैक्स अध्यक्ष / प्रबन्धक एवं 105 प्राथमिक डेयरी सहकारी समिति के अध्यक्ष / निदेशक ने भाग लिया।

दिनांक–14.11.2024 को दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय प्रबन्ध संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना में 71वाँ अखिल भारतीय सहकारिता सप्ताह का आयोजन किया गया। जिसमें सभी जिलों के 10–10 पैक्स अध्यक्ष / प्रबंधक ने भाग लिया।

दिनांक–22.01.2025 को उर्जा ऑडिटोरियम, पटना में "पैक्सों में व्यावसायिक विविधीकरण" विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें सभी जिलों से 10 पैक्स के अध्यक्ष, 02 PVCS के अध्यक्ष, 02 बुनकर समिति के अध्यक्ष, 02 महिला समिति के अध्यक्ष, 02 मत्स्यजीवी के अध्यक्ष, 02 अन्य व्यवसाय करने वाले समिति के अध्यक्ष ने भाग लिया तथा इस कार्यशाला में "सहकारी चौपाल" एवं विभाग के योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु LED प्रचार वाहन का शुभारंभ किया गया।

वर्ष 2024–25 में 18 बिहार सहकारिता प्रशासनिक एवं अंकेक्षण सेवा के पदाधिकारी, 114 सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 216 अंकेक्षकों एवं 5800 समिति अध्यक्ष / प्रबंधक का प्रशिक्षण कराया गया है। 80 बिहार सहकारिता प्रशासनिक अंकेक्षण सेवा के पदाधिकारी का IIM, Indore में प्रशिक्षण कराया जा रहा है।

राज्य में एक मात्र सहकारी प्रशिक्षण संस्थान, पूसा समस्तीपुर में कार्यरत है। संस्थान के

सम्पूर्ण परिसर को पुनर्जीवित एवं सुसज्जित कर समिति अध्यक्ष/प्रबंधकों एवं सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

आगामी वर्ष 2024—25 में राज्य के सभी पैक्स अध्यक्ष/प्रबंधकों को व्यावसायिक विविधीकरण से संबंधित प्रशिक्षण विकेन्द्रीकृत रूप से प्रमंडल/जिला स्तर पर कराया जाना प्रस्तावित है।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 (IYC-2025)

संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। इस अवसर पर राज्य, जिला एवं प्रखंड स्तर पर अनेक कार्यक्रम प्रस्तावित है। जनवरी माह में सहकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के प्रचार—प्रसार हेतु एल0ई0डी0 प्रचार वाहन रथ एवं सहकारी चौपाल प्रारंभ किया गया है। पूरे वर्ष में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकार के सहकारी समितियों के सदस्यों एवं पदधारकों के प्रशिक्षण/कार्यशाला के लिए वार्षिक कैलेण्डर तैयार किया गया है।

6. महत्वपूर्ण सहकारी संस्थान

I. सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, पूसा, समस्तीपुर

सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, पूसा, समस्तीपुर राज्य सरकार द्वारा संचालित सहकारी प्रशिक्षण संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना वर्ष 1955–56 में हुई है। जिसमें प्रशासनिक भवन के साथ–साथ प्रशिक्षार्थियों के आवास की सुविधा उपलब्ध है। इस संस्थान के सफल संचालन हेतु संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमंडल की अध्यक्षता में एक संचालन कमिटी गठित है। जिसके सचिव प्राचार्य, सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, पूसा हैं, तथा सदस्य के रूप में जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी समस्तीपुर एवं प्रबंध निदेशक समस्तीपुर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि० नामित है।

विगत वर्षों में प्रशिक्षण केन्द्र का कार्यकलाप नगण्य रहने के कारण, वर्ष 2016 में इसे पुर्नजीवित किया गया, जिसके अन्तर्गत तीस प्रशिक्षणार्थियों के लिए एक छात्रावास का निर्माण कराया गया तथा इस के संचालन हेतु एक कॉरपस फंड का गठन किया गया है, जिसमें संबद्ध सहकारी संस्थाओं से अंशदान के मद में प्राप्त राशि से प्राप्त होने वाले ब्याज की राशि से प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित किया जाता है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में 86 सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के लिए 12 साप्ताहिक ''सहकारी प्रबंध में प्रमाणपत्रीय'' पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिया गया है। पैक्स अध्यक्ष एवं प्रबंधकों का प्रशिक्षण सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, पूसा में संचालित किया जा रहा है।

ii. प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार

उपभोक्ता परिक्षेत्र में प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार गठित है। इसका कार्यक्षेत्र शहरों तक ही सीमित है। इसका मुख्य कार्य शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण रहा है। अधिकांश प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार लगभग निष्क्रिय है। कुछ प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार जनवितरण प्रणाली के कार्य में संलग्न हैं।

iii. व्यापार मंडल

व्यापार मंडल सहयोग समितियाँ प्रखंड स्तर की पणन सहकारी समिति है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषकों को उनके कृषि उत्पाद में प्रयुक्त होने वाले वस्तुओं यथा खाद, बीज, कीटनाशक दवा आदि की व्यवस्था के साथ–साथ कृषि उत्पाद का पणन रहा है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति (पैक्स) अनिवार्य रूप से व्यापार मंडल के सदस्य होते हैं। प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल का पुनर्गठन कर लगभग प्रत्येक प्रखंड में व्यापार मंडल का गठन किया गया है। गठित व्यापार मडलों के प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार से कराकर प्रजातांत्रिक प्रबंधन बहाल कर दिया गया है। वर्त्तमान में राज्य में 539 प्रखंड स्तरीय व्यापार मंडल गठित हैं।

7. बिहार राज्य भंडार निगम

वित्तीय वर्ष 2024–25 में निगम की उपलब्धि एक झलक में :–

बिहार राज्य भंडार निगम (Bihar State Warehousing Corporation) केन्द्रीय भंडारण निगम एवं बिहार सरकार का एक संयुक्त लोक उपक्रम है, जो विशेष केन्द्रीय विधान दी वेयरहाउसिंग एक्ट, 1962 (The Warehousing Act, 1962) एवं तत्संबंधी नियमावली के अधीन संचालित है।

1. स्थापना :

बिहार राज्य भंडार निगम (बिहार स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन) पटना की स्थापना कृषि उत्पाद (विकास एवं भण्डारण) निगम अधिनियम, 1956 (Agricultural Produce (Development and Warehousing) Corporation Act 1956) के अधीन केन्द्रीय भंडार निगम (C W C) के अनुमोदन के पश्चात् मार्च, 1957 में बिहार सरकार विकास (सहकारिता) विभाग की अधिसूचना संख्या–3330 दिनांक 29.03.1957 के द्वारा हुई। उक्त अधिसूचना के द्वारा इसका मुख्यालय, पटना में निर्धारित किया गया। कालक्रम में Agricultural Produce (Development and Warehousing) Corporation Act 1956 के स्थान पर Warehousing Act 1962 लागू हुआ, जिसके अन्तर्गत सम्प्रति बिहार स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन (बिहार राज्य भंडार निगम) अर्थात BSWC कार्यरत है। बिहार राज्य भंडार निगम को बिहार सरकार सहकारिता विभाग के संकल्प ज्ञापांक संख्या–3250 दिनांक 12.12.1996 के द्वारा "राज्य भंडारण एजेंसी" के रूप में घोषित किया गया, जिसके अन्तर्गत सभी सरकारी विभागों, स्वशासी निकायों, लोक उद्यमों एवं उपक्रमों को यह निदेशित किया गया है कि भविष्य में वे अपने स्तर से निजी गोदामों को भाड़ें पर नहीं लेंगे बल्कि वे स्थायी रूप से अपनी आवश्यकता बिहार राज्य भंडार निगम, पटना को अधिसूचित करेंगे।

2. कार्य:

- राज्य में कृषि उत्पादों/खाद्यान्नों, उर्वरकों, बीज तथा कृषि संयंत्रों एवं सरकार द्वारा अधिसूचित वस्तुओं के भंडारण हेतु गोदाम का अर्जन एवं गोदामों का निर्माण करना।
- कृषि उत्पाद तथा अन्य अधिसूचित वस्तुओं के संचयन के लिए राज्य में गोदामों का परिचालन करना।
- कृषि उत्पाद तथा अन्य अधिसूचित वस्तुओं के लिए परिवहन एवं हथलन व्यवस्था उपलब्ध कराना।
- राज्य सरकार एवं केन्द्रीय भंडारण निगम के एजेन्सी के रूप में कृषि उत्पाद एवं अन्य अधिसूचित वस्तुओं के क्रय, विक्रय, भंडारण एवं वितरण में सहयोग करना।
- सरकार एवं केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा निर्धरित कार्यों का संपादन।

3. हिस्सा पूँजी/अंश–पूँजी (Share Capital & Paid up Capital) :

निगम का अधिकृत अंश पूँजी 10.00 करोड़ है। निगम में केन्द्रीय भंडारण निगम एवं राज्य सरकार का क्रमशः 50:50 प्रतिशत हिस्सा पूँजी है। संप्रति केन्द्रीय भंडारण निगम एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अंश पूँजी 642.00 लाख है, जिसकी विवरणी अग्रांकित है:–

हिस्सा पूँजी (**Share Capital**)	(लाख रूपये में)
केन्द्रीय भंडारण निगम	500.00
बिहार सरकार	500.00
कुल रु.	1000.00
प्रदत्त अंश पूँजी (**Paid up Capital**)	
केन्द्रीय भंडारण निगम	321.00
बिहार सरकार	321.00
कुल रु.	642.00

4. मुख्य सामग्रियों का भंडारण :

खाद्यान्न, दवा, उर्वरक, सीमेंट, दाल, बीज, जूट, सूर्यमुखी बीज, नीरा, उड़द, मसूर, डी.डी.टी. अभियंत्रण सामग्री, पुस्तक, कागज, तौलाई मशीन, मतपेटी आदि।

5. मुख्य जमाकर्त्ता

भारतीय खाद्य निगम, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, इफ्फको, जनगणना निदेशालय, आर.सी.एफ. लि०, पुस्तक निगम, केन्द्रीय भंडारण निगम, कॉम्फेड, सब्जी प्रसंस्करण निगम, व्यापारी, कृषक, बिहार मेडीकल इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० अल्ट्राटेक, ओरिगो लिमिटेड इत्यादि। सम्प्रति निगम का अधिकांश गोदाम भारतीय खाद्य निगम द्वारा आरक्षित है।

6. अद्यतन भंडारण क्षमता

- अद्यतन भंडारण क्षमता :– 7.81 लाख मे0 टन।
- अद्यतन गोदाम उपलब्ध्ता विवरणी:–

(क)	निगम द्वारा स्वनिर्मित गोदाम	2,09,493 में. टन
(ख)	कृषि रोड मैप योजनांतर्गत निर्मित गोदाम	3,10,000 मे. टन
(ग)	पी.ई.जी. योजनांतर्गत निर्मित गोदाम	1,40,000 मे. टन
(घ)	किराया का गोदाम (बिहार)	96,166 मे. टन
(ङ)	किराया का गोदाम (झारखंड)	25,586 मे. टन
	कुल क्षमता	7,81,245 मे. टन

7. भंडारण शुल्क :–

बिहार राज्य भंडार निगम के गोदामों के लिए केन्द्रीय भंडारण निगम का संसूचित दर सामान्य रूप से प्रभावी है। भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य खाद्य निगम के संदर्भ में यथानिदेशित दर व्यवस्था

है। वर्त्तमान भंडारण शुल्क विवरणी अग्रानुसार है :–

खाद्यान्न	रु. 102.00 प्रति मे. टन प्रति माह (भारतीय खाद्य निगम)
	रु. 5.10 प्रति 50 किलाग्राम बोरा प्रति माह (भारतीय खाद्य निगम)
	रु. 64.00 प्रति मे. टन प्रति माह (राज्य खाद्य निगम)
उर्वरक	रु. 80.00 प्रति मे. टन प्रति माह (CWC दर पर)
क्षेत्रफल दर	रु. 21.00 प्रति वर्गफीट प्रति माह (CWC दर पर)

➤ **मानव बल :–**

कुल स्वीकृत पद – 527

निगम में कार्यरत कुल मानव बल (नियमित/संविदा/सहकारिता विभाग से प्रतिनियुक्त/बेल्ट्रॉन से संविदा पर प्रतिनियुक्त/आउटसोर्सिंग) पर कार्यरत कुल मानवबल की संख्या – 470

➤ **भंडारगृह विवरणी :–**

निगम में कार्यरत प्रमंडल – 6 (मुजफ्फरपुर, पटना, मगध, पूर्णिया, भागलपुर, एवं राँची)

कुल भंडारण गृहों की संख्या – 62 (बिहार 56, झारखण्ड 6)

➤ **बिहार राज्य अन्तर्गत भंडारगृहों के नाम :–**

मुजफ्फरपुर प्रमंडल	पटना प्रमंडल	मगध प्रमंडल	पूर्णियाँ प्रमंडल	भागलपुर प्रमंडल
मुजफ्फरपुर	आरा	गया (दुर्गावाड़ी)	गुलाबबाग	बरौनी
बेतिया	आरा (ARM)	जहानाबाद	गुलाबबाग पी.ई.जी.	भागलपुर
बेतिया पी.ई.जी.	आरा पी.ई.जी.	वारसलीगंज	कसबा	नौगछिया
मोतीहारी	बिहटा	सासाराम	जानकीनगर	खगड़िया पी.ई.जी.
मोतीहारी पी.ई.जी.	बिहटा पी.ई.जी.	मोहनियाँ	फारबिसगंज	बेगुसराय
सीतामढ़ी	फतुहॉ	मोहनियाँ पी.ई.जी.	फारबिसगंज पी.ई.जी.	बेगुसराय पी.ई.जी.
समस्तीपुर	बिहारशरीपफ	नटवार	कटिहार	जमुई पी.ई.जी.
छपरा	बिहारशरीपफ पी.ई.जी.	औरंगाबाद पी.ई.जी. (ए. एन. रोड)	मधेपुरा (सिंहेश्वरस्थान)	लखीसराय
नरकटियागंज	मसौढ़ी	औरंगाबाद पी.ई.जी. (ओबरा)	मधेपुरा (रसना)	
गोपालगंज पी.ई.जी.	बक्सर	गया (मानपुर)	मुरलीगंज	
हाजीपुर (सराय)			गढ़बनैली	
हाजीपुर (घोसवर)			किशनगंज पी.ई.जी.	

दरभंगा पी.ई.जी.			सहरसा	
झंझारपुर			नरपतगंज	
रक्सौल				

➤ **झारखंड राज्य अंतर्गत भंडारगृहों के नामः–**

पाकुड़	दुमका	गोड्डा
चतरा	बोकारो	सरायकेला

व्यवसाय / भौतिक उपलब्धि :–

बिहार राज्य भंडार निगम का खाद्यान्न के वैज्ञानिक एवं सुरक्षित भंडारण व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बिहार राज्य भंडार निगम अंतर्गत सम्प्रति 62 स्थानों पर भंडारगृह संचालित है जिसमें अधिकांश स्थान अर्थात 50 स्थानो पर भारतीय खाद्य निगम का खाद्यान्न भंडारित है। शेष स्थान पर राज्य खाद्य निगम एवं अन्य संस्थानों यथा केन्द्रीय भंडारण निगम, बी.एम.एस.आई.सी.एल, जनगणना, कॉम्फेड, हरित सब्जी प्रसंस्करण निगम एवं अन्य द्वारा उपयोगित है। इस निगम अन्तर्गत सम्प्रति कुल भंडारण क्षमता 7.81 लाख मे.टन है।

वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 तक की भंडारण क्षमता एवं आभोग की विवरणी निम्नवत् है :–

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	भंडारण क्षमता (लाख मे.टन)	आभोग (लाख मे.टन)	आभोग प्रतिशत
1.	2021-22	8.37	7.60	91%
2.	2022-23	8.30	7.70	93%
3.	2023-24	9.80	8.57	87%
4	2024-25 (October 2024)	7.93	6.66	83.95 %

वित्तीय उपलब्धि :

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	लाभ (करोड़ रु0)
1.	2021-22	37.01
2.	2022-23	37.63
3.	2023-24	35.77
4	2024 - 25 (अनुमानित)	40.98

अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि :–

1) वित्तीय वर्ष 2022–23 में 1.00 करोड़ रू० तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 में 1.00 करोड़ रूपया मुख्यमंत्री राहत कोष में अनुदान दिया गया है।

2) भारतीय खाद्य निगम के द्वारा आच्छादित सभी भंडारगृहों में Depot Online System (DOS) कंप्यूटर प्रणाली कार्यान्वित किया गया है, जो सुचारू रूप से कार्य कर रहा है।

3) बिहार राज्य भंडार निगम के गोदामों का Warehousing Development Regualtory Authority (WDRA) के अन्तर्गत निबंधन कार्य किया गया है। संप्रति WDRA के अंतर्गत निबंधित भंडारगृहों की संख्या 43 है।

4) रोजगार के अवसर/नई नियुक्तियों का विवरण : बिहार राज्य भंडार निगम के निदेशक पर्षद की दिनांक 22.12.2023 के कार्यक्रम संख्या–1 का क्रमांक–8 में अधीक्षक–I–9 पद, तकनीकी सहायक–15 पद, सहायक लेखापाल–3 पद, सहायक–ष्प्–24 पद एवं पी.सी.डी. ओ.–17 पद पर नियुक्ति करने की स्वीकृति दी गई है।

5) आधारभूत संरचनाओं का विकास : वर्ष 2023–24 में 10 स्थानों पर सड़क मरम्मति/जीर्णोद्धार, चहारदीवारी निर्माण एवं कार्यालय भवन से संबंधित निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है एवं 22 स्थानों पर निविदा प्रकाशन के साथ अग्रेतर कार्रवाई प्रारम्भ की जा चुकी है।

6) नई परियोजनाएं/योजनाएं : सहकारिता विभाग, बिहार सरकार से प्राप्त अनुदान राशि रू. 12,51,14,400/– से तीन स्थानों यथा मुरलीगंज (मधेपुरा)–5000 मे.टन, मालीघाट (मुजफ्फपुर)–4000 मे.टन तथा मसौढ़ी (पटना)–1500 मे.टन क्षमता का गोदाम निर्माण कराया जायेगा।

7) तकनीकी नवाचार : बिहार राज्य भंडार निगम तकनीकी के नये आयामों पर अमल करते हुए दो महत्वपूर्ण ऑनलाईन प्रणालियों यथा DOS एवं e-bhandaran (WMS) के अंतर्गत भंडारण कार्यों को संचालित कर रहा है।

8) World Food Programme (WFP) के अन्तर्गत छपरा भंडारगृह को Pilot Project के तहत Smart Warehousing के रूप में विकसित करने के लिए चयन किया गया है।

8. सहकारिता विभाग में आई०टी० का समावेश

I. बिहार राज्य सहकारिता बैंक :–

सीमित संसाधनों के बावजूद भी वर्तमान बैंकिग प्रतिस्पर्द्धा के युग में सहकारी बैंक अपने ग्राहकों को अन्य बैंकों की भाँति तकनीकी सुविधा उपलब्ध करा रहा है। राज्य के सभी सहकारी बैंक पूर्णतः सी॰बी॰एस॰ प्रणाली में कार्यरत है तथा अपने ग्राहकों को NEFT, RTGS, IMPS रूपे कॉर्ड तथा ए॰टी॰एम॰ आदि की सुविधा प्रदान कर रहा है। सहकारी बैंकों के माध्यम से राज्य में 136 ए॰टी॰एम॰ तथा 715 माईको ए॰टी॰एम॰ की स्थापना की जा चुकी है, शेष प्रक्रियाधीन है। ग्राहकों के बीच लगभग 2.16 लाख रूपे/के॰सी॰सी॰ कॉर्ड तथा खाताधारियों को 1.05 लाख ए॰टी॰एम॰ कॉर्ड वितरित किया गया है। मोबाईल ऐप के द्वारा घर बैठे अभिकर्ता के माध्यम से दैनिक जमा योजना के अन्तर्गत खाता में जमा का सुरक्षित संचालन किया जा रहा है। जमा राशि पर तत्काल 75% ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। दैनिक जमा योजना के संचालन के लिए 2000 अभिकर्ताओं की नियुक्ति की गई है। पैक्सों को भी पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत करने की योजना है, जिसके लिए नाबार्ड से भी वित्तीय सहायता प्राप्त होनी है। बिहार राज्य सहकारी बैंक लि० में तकनीकी कोषांग गठित किया जा रहा है, जो जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की तकनीकी समस्याओं का समाधान करेगा। ग्राहकों को पेमेन्ट वॉलेट, एवं नेट बैंकिंग आदि की सुविधा भी उपलब्ध कराने के लिए बैंक तत्पर है। राज्य सहकारी बैंक से सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों के साथ संचार व्यवस्था को सरल बनाने के उद्देश्य से विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग की व्यवस्था भी प्रक्रियाधीन है।

II. धान अधिप्राप्ति :–

प्रत्येक वर्ष सहकारिता विभाग के माध्यम से राज्य के किसानों से धान के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पैक्सों तथा व्यापारमंडलों द्वारा खरीदारी की जाती है। धान अधिप्राप्ति पैक्स तथा व्यापार मंडल द्वारा किसान से धान खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए तकनीक का समावेश किया गया।

परन्तु वर्ष 2015–16 से राज्य के किसानों से धान खरीदगी के लिए आधुनिकतम तकनीक का समावेश किया गया। राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र (एन॰आई॰सी॰) के सहयोग से इस कार्य के लिए एक वेब एप्लीकेशन तथा मोबाईल एप्लीकेशन विकसित कराया गया तथा उसी वर्ष से मोबाईल के माध्यम से धान की खरीदगी शुरू की गई, जिस कारण इस व्यवस्था में काफी पारदर्शिता आई। धान खरीदारी के पूर्व किसानों का ऑनलाईन निबंधन कराकर उनके क्षेत्रान्तर्गत कार्यरत पैक्स/व्यापारमंडल को उनसे टैग किया गया तथा निर्धारित तिथि को उनसे धान क्रय करने के लिए उक्त संबंधित पैक्स में निबंधन के अनुसार रोस्टर तैयार किया गया। इसके परिणाम स्वरूप राज्य के किसानों को सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान 48 घंटे के भीतर PFMS के माध्यम से सीधे संबंधित किसान के खाते में किया जा रहा है। उक्त सभी क्रिया–कलापों पर मुख्यालय, जिला तथा प्रखंड स्तर से ऑनलाईन अनुश्रवण किया जा रहा है। सारे प्रतिवेदनों को रियल टाईम में उपलब्ध कराया जा रहा है। इस संबंध में किसानों को आ रही समस्याओं के ऑनलाईन निराकरण के लिए हेल्प लाईन नम्बर तथा ई–मेल उपलब्ध कराया गया है, जिस पर किसानों की समस्याओं का निराकरण ऑनलाईन ही किया जा रहा है।

III. पैक्सों में सदस्यता हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया :–

पंचायत स्तर पर गठित पैक्स ग्रामीण विकास की धूरी हैं। कृषि प्रधान आर्थिक व्यवस्था के समग्र विकास के लिए आवश्यक है कि सभी इच्छुक किसान पैक्स का सदस्य बने। पैक्स की सदस्यता को सुगम बनाने के लिए सहकारिता विभाग की तरफ से ऑनलाईन ऐप्प विकसित कर क्रांतिकारी पहल की गई है।

राज्य में कुल 8463 पैक्स हैं। चूँकि पैक्स ग्रामीण विकास की धूरी है, अतः आवश्यक है कि पैक्स के सदस्य बनने की प्रक्रिया सहज हो तथा पुरी प्रक्रिया का विभागीय स्तर पर अनुश्रवण किया जा सके। पैक्सों में ऑनलाईन सदस्यता दिलाने हेतु विभाग के पहल पर राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र (एन॰आई॰सी॰) के सहयोग से पैक्सों में सदस्यता हेतु ऑनलाईन पद्धति से पैक्स में सदस्यता आवेदन देने की व्यवस्था लागू करने के लिए एक वेब एप्लीकेशन विकसित कराया गया जिसका लोकार्पण 05 सितम्बर 2017 से पूरे राज्य में माननीय मंत्री सहकारिता द्वारा किया गया। इस साफ्टवेयर के माध्यम से कोई भी वैध पात्र, निर्धारित समय–सीमा के अन्दर अपने पंचायत क्षेत्रान्तर्गत पैक्स में सदस्यता पा सकता है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से सभी क्रिया–कलापों पर मुख्यालय तथा जिला स्तर से ऑनलाईन अनुश्रवण किया जा रहा है। किसानों को सदस्यता हेतु आवेदन देने में किसी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए प्रत्येक प्रखंड में प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के कार्यालय में कम्प्यूटर तथा प्रिन्टर के साथ कार्यपालक सहायक उपलब्ध कराया गया है।

IV. बिहार राज्य फसल सहायता योजना :–

''बिहार राज्य फसल सहायता योजना'' खरीफ 2018 मौसम से राज्य में लागू की गई है। इस योजना के तहत प्राकृतिक आपदा यथा– बाढ़, सुखाड़, तुषाड़ापात आदि के फलस्वरूप फसल उत्पादन में ह्रास होने की स्थिति में रैयत, गैर–रैयत एवं आंशिक रूप से रैयत तथा गैर–रैयत श्रेणी को अधिकतम 20,000 रूपये तक सहायता राशि का भुगतान किया जाता है। इसके लिए किसानों को किसी भी प्रकार का प्रीमियम अथवा शुल्क भुगतान नहीं करना है।

इस योजना का लाभ लेने हेतु कृषि विभाग के किसान निबंधन संख्या के द्वारा विभागीय पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करना होता है। अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार के निदेशन में संपादित फसल कटनी प्रयोग आधारित उपज दर ऑकड़ों के आधार पर वैसे पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र जहाँ फसल उत्पादन में ह्रास प्रतिवेदित होता है, के आवेदक किसानों को मूलभूत दस्तावेज योजना के पोर्टल पर अपलोड कराते हुए आवेदित ऑकड़ों/दस्तावेजों का जिला स्तरीय समन्वय समिति के माध्यम से सत्यापन कराने के उपरांत स्वीकृत लाभुक किसानों को सहायता राशि का भुगतान क्ठज के द्वारा सीधे उनके आधार से संबद्ध बैंक खाता में किया जाता है।

इस योजना में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से रबी 2024–25 मौसम से किसानों के आवेदित भूमि का कम्प्यूटराईज्ड जमाबंदी संख्या तथा geo-coordinates भी प्राप्त किया जा रहा है। NIC के तकनीकी सहयोग से विकसित बिहार राज्य फसल सहायता योजना पोर्टल को कम्प्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा E-Governance के लिए Award of Excellence प्रदान किया गया है।

V. मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना :–

राज्य के सभी 8463 पैक्सों में केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, (NCDC) नई दिल्ली द्वारा वित्तीय सहायता के आधार पर सम्पोषित ''मुख्यमंत्री हरित कृषि संयत्र योजना'' लागू की गई है। इस योजना के तहत प्रत्येक पैक्स को कृषि सयंत्र क्रय करने हेतु अधिकतम 15,00,000 (पन्द्रह लाख) रुपये उपलब्ध कराया जाता है। इस हेतु सभी इच्छुक पैक्सों को ऑनलाईन भारत सरकार द्वारा निर्मित GEM पोर्टल पर निबंधन करा कर चयनित कृषि सयंत्र को GEM पोर्टल पर BID द्वारा क्रय किया जा रहा है। इस योजना के तहत क्रय तथा भुगतान की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु पूर्ण रुप से ऑनलाईन है। इसके लिए विभाग द्वारा मोबाईल ऐप भी विकसित किया गया है।

VI. पैक्सों का कम्प्यूटरीकरण योजना :–

पैक्सों में समान लेखा प्रणाली (CAS) लागू है। CAS को सुगम बनाने तथा समितियों के कामकाज में पारदर्शिता तथा एकरूपता लाने के उद्देश्य से पैक्सों के कम्प्यूटरीकण की योजना है। इस योजना के तहत चयनित पैक्सों को कम्प्यूटर सेट उपलब्ध कराया जाएगा। पैक्सों के कार्यकलापों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर से संचालन करना होगा।

VII. सहकारी समितियों का निबंधन :–

बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 एवं बिहार स्वावलम्बी सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1996 के तहत सहकारी समितियों के निबंधन हेतु On-Line आवेदन की प्राप्ति एवं Online निष्पादन की सुविधा विभाग द्वारा प्रारम्भ किया गया है। इसके लिए सहकारी समिति गठित करने हेतु इच्छुक व्यक्ति सहकारिता विभाग, बिहार के अधिकारिक बेवसाइट Cooperative.bih.nic.in पर जाकर अपना User ID एवं पासवर्ड बनाने के पश्चात् सहकारी समिति के निबंधन हेतु आवेदन एवं अन्य कागजात Online समर्पित कर सकते है। निबंधन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के पश्चात् समिति का निबंधन प्रमाण पत्र अथवा निबंधन अस्वीकृति की दशा में अस्वीकृति पत्र आवेदक Online विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते है।

VIII. अंकेक्षण :–

समिति के अंकेक्षण को पारदर्शी बनाने के लिए अंकेक्षण की प्रक्रिया को Online कर दिया गया है। Online Audit app के माध्यम से समितियों से संबंधित डाटा एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन अपलोड कराया जा रहा है। जिससे समितियों की आर्थिक स्थिति का प्रभावी अनुश्रवण तथा अंकेक्षण में पारदर्शिता लाया जा सकेगा।

IX. CCMS (Court Cases Monitoring System) -

माननीय न्यायालय से संबंधित वादों का अनुश्रवण CCMS के माध्यम से किया जा रहा है।

X. CCIS (Court Cases Information System) -

न्यायालय निबंधक, सहयोग समितियाँ के वादों से संबंधित कार्य CCIS के माध्यम से किया जा रहा है।

परिशिष्ट – I

विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियाँ

- सहकारिता आन्दोलन के क्रम में सहकारी समितियों की संगठनात्मक संरचना त्रिस्तरीय यथा शीर्ष (Apex), केन्द्रीय एवं प्राथमिक है।
- समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अलग–अलग उद्देश्यों के अनुरूप साख (Credit) एवं गैर–साख (Non-Credit) सहकारी समितियाँ शहरों एवं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रो मे गठित है।
- कृषि साख की सुविधा हेतु राज्य स्तरीय बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰, जिला स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰ एवं पंचायत स्तर पर प्राथमिक कृषि साख समिति गठित है।
- कृषि उत्पाद का पणन एवं भंडारण के निमित्त पणन सहकारी समितियाँ तथा उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण हेतु उपभोक्ता भंडार गठित है।
- कृषि के क्षेत्र में व्यवसायिक दृष्टिकोण के उद्देश्य से दुग्ध उत्पादक, कुकुटपालन आदि समितियाँ गठित हैं।
- श्रमिकों के हितार्थ श्रमिक सहकारी समितियाँ गठित हैं। रोजगार पूरक के रूप में चर्मकार, औद्योगिक, नाव यातायात, परिवहन आदि समितियाँ गठित हैं।
- सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी तथा विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के बचत भावनाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बचत एवं साख सहकारी समितियाँ गठित है।
- बुनकरों के हितार्थ बुनकर सहकारी समितियाँ गठित है तथा राज्य के कमजोर वर्ग धुनियाँ, रंगरेज एवं दर्जी के कल्याणार्थ राज्य स्तर पर **''धुरद''** शीर्ष सहकारी संस्थान भी गठित है।
- समाज के सबसे कमजोर वर्ग महिलाओं के हितार्थ महिला सहकारी समिति भी प्राथमिक स्तर पर गठित है।
- मत्स्य विकास की अपार सम्भावनाओं के मद्देनजर जलकरों की बन्दोबस्ती परम्परागत मछुआरों के साथ करने के उद्देश्य से पूर्व से सहकारी समिति अधिनियम, 1935 एवं स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के तहत् गठित मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को पुनर्गठित कर सहकारी समिति अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियाँ भी गठित हैं।

परिशिष्ट – II

राज्य में निबंधित सहकारी समितियों की संख्या :–

1.	प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स)	–	8463
2.	व्यापार मंडल सहयोग समिति	–	523
3.	प्राथमिक विपणन सहयोग समिति	–	25
4.	सहकारी उपभोक्ता भंडार	–	821
5.	प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति	–	501
6.	बचत एवं साख सहयोग समिति	–	206
7.	गृह निर्माण सहयोग समिति	–	2193
8.	औद्योगिक सहयोग समिति	–	1218
9.	कृषि एवं एलायड सहयोग समिति	–	1711
10.	कुकुटपालन सहयोग समिति	–	65
11.	शिक्षण एवं प्रशिक्षण सहकारी समिति	–	08
12.	श्रमिक सहकारी समिति	–	837
13.	जूट एवं कॉयर सहकारी समिति	–	06
14.	महिला विकास सहयोग समिति	–	1271
15.	बुनकर सहयोग समिति	–	621
16.	प्रखंड स्तरीय सब्जी उत्पादक समितियाँ	–	438
17.	बहुधंधी सहयोग समिति	–	137
18.	चीनी मिल सहयोग समिति	–	35
19.	दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	–	6904
20.	पर्यटन सहयोग समिति	–	05
21.	जनजातीय सहयोग समिति	–	09
22.	अर्बन को–ऑपरेटिव बैंक	–	02
23.	परिवहन सहयोग समिति	–	84
24.	सर्वोदय सहयोग समिति	–	54
25.	प्राथमिक मधुमक्खी पालन शहद उत्पादक प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति लि0	–	124
26.	विविध क्रेडिट सहकारी समिति	–	01
27.	विविध नन–क्रेडिट सहकारी समिति	–	44
			26306

(नोटः– पैक्स, व्यापार मंडल एवं मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को छोड़कर अन्य प्रकार की कुछ समितियाँ मृत प्रायः है जिसे परिसमापित किया जा रहा है।)

परिशिष्ट – III

गोदाम निर्माण हेतु राशि उपलब्ध कराई गई समितियों की संख्या :–

क्र0 सं॰	जिला का नाम	2019–20			2021–22			2022–23			2023–24		
		1000	500	200	1000	500	200	1000	500	200	1000	500	200
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	बांका		2	3	1			18	3	4	1	0	0
2	भागलपुर							2	4	1	2	3	7
3	समस्तीपुर	4		1	4			9	3	1			
4	दरभंगा												
5	मधुबनी		2	4		4		3	1	1	2		
6	गया				4	15		1	5	2	7	19	
7	नवादा			2				32	4	1	2		
8	औरंगाबाद				7	4		2	1		10	7	
9	जहानाबाद												
10	अरवल			3									
11	लखीसराय				3	6		6		1	2	2	
12	बेगूसराय					1							
13	मुंगेर		1		3	4							4
14	जमुई							11	6		4	7	
15	शेखपुरा												
16	खगड़िया	1	1										
17	सीवान		1	7				1	8		9	9	1
18	गोपालगंज					8		2	2	3		4	
19	सारण		3	4	2	5					13	23	2
20	रोहतास		7		2	18		5	5		13	3	
21	भोजपुर									5			
22	पटना	1	2	2	10	6		1			6	7	1
23	कैमूर	1		1	16	24		22	14		29	14	
24	नालन्दा		2	3					7	2	3	1	
25	बक्सर											1	1
26	मुजफ्फरपुर	2	2	4	8	6		4		7	11	4	1
27	बेतिया				1			2	6		2	8	
28	वैशाली	3	2		3	1		3		2	3		
29	मोतिहारी	1	1	1		2					1	11	
30	सीतामढ़ी	1	3			1		1	1		5	7	3
31	शिवहर	4											
32	सुपौल				10	2		6	5	7	12	6	
33	मधेपुरा	2			6	8		4	3		6	3	
34	सहरसा	2	4		12	4		10			13	4	
35	पूर्णियाँ	3			2			1					

36	अररिया	2	3		1	1		1		1	1	2	
37	कटिहार				1	4		3	3				
38	किशनगंज				2	2		4	2	1	2	1	
	कुल	27	36	35	98	126	0	154	83	39	159	146	20

चावल मिल.सह.गैसीफायर एवं विद्युत आधारित चावल मिल (**2MT**) निर्माण हेतु उपलब्ध कराई गई राशि की समितियों की संख्या

क्रम	जिला	200809	201011	201213		201314		201415		201516		201617	201718	201819	202021	कुल
				पैक्स	व्यापार मंडल	पैक्स	व्यापार मंडल	पैक्स	व्यापार मंडल	पैक्स	व्यापार मंडल	पैक्स / व्यापार मंडल	पैक्स / व्यापार मंडल	पैक्स / व्यापार मंडल	पैक्स / व्यापार मंडल	
1	बाँका	1	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	5	-	1	**13**
2	भागलपुर	2	2	2	1	4	1	-	-	-	-	-	-	1	-	**13**
3	समस्तीपुर	-	2	2	-	3	1	-	-	3	1	-	6	-	1	**19**
4	दरभंगा	-	1	1	1	2	-	3	1	1	-	-	2	-	1	**13**
5	मधुबनी	-	1	1	1	4	1	1	-	1	-	-	2	-	1	**13**
6	गया	2	2	2	-	3	-	1	-	-	2	-	7	-	2	**21**
7	नवादा	1	1	1	-	-	-	-	-	6		-	2	-	1	**12**
8	औरंगाबाद	3	6	7	-	5	-	-	-	-	-	-	5	-	1	**27**
9	जहानाबाद	1	-	1	-	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	**7**
10	अरवल	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	**5**
11	लखीसराय	-	3	1	-	2	-	1	-	3	-	-	1	-	1	**12**
12	बेगूसराय	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	**5**
13	मुंगेर	-	-	1	1	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	**7**
14	जमुई	-	-	2	-	4	1	-	3	2	-	-	2	-	1	**15**
15	शेखपुरा	-	-	2	-	3	1	-	-	3	-	-	-	-	1	**10**
16	खगड़िया	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	**4**
17	सीवान	3	4	2	-	3	1	-	-	2	-	-	1	-	1	**17**
18	गोपालगंज	-	-	3	-	4	-	3	-	-	-	-	4	-	1	**15**
19	सारण	-	-	1	1	1	-	1	-	-	1	-	5	-	1	**11**
20	रोहतास	2	3	5	1	3	-	14	3	16	5	-	6	-	1	**59**
21	भोजपुर	1	1	2	-	4	-	-	-	-	-	-	7	-	-	**15**
22	पटना	3	2	1	-	-	-	1	-	3	-	-	7	-	2	**19**
23	कैमूर	2	4	1	-	1	-	6	-	5	-	-	6	-	2	**27**
24	नालन्दा	-	3	6	1	4	-	5	-	-	-	-	5	-	-	**24**
25	बक्सर	2	4	2	1	2	1	4	-	-	-	-	-	1	-	**17**
26	मुजफ्फरपुर	3	1	2	-	4	-	-	-	3	-	-	2	-	1	**16**
27	बेतिया	1	4	2	1	2	-	6	-	-	-	-	-	1	-	**17**
28	वैशाली	2	3	3	-	2	-	-	-	4	-	-	-	-	1	**15**
29	मोतीहारी	3	1	3	-	2	-	1	-	-	-	-	4	-	2	**16**
30	सीतामढ़ी	2	3	1	-	-	-	3	-	5	-	-	-	-	1	**15**
31	शिवहर	-	-	1	-	3	-	1	-	3	-	-	-	-	1	**9**
32	सुपौल	1	1	1	-	1	1	3	1	5	-	-	3	-	1	**18**
33	मधेपुरा	-	2	2	-	5	-	1	-	-	-	-	2	-	2	**14**
34	सहरसा	-	-	1	-	3	-	2	-	-	-	-	2	-	-	**8**
35	पूर्णियाँ	-	1	2	1	3	1	-	1	-	-	-	2	-	1	**12**
36	अररिया	-	-	2	-	3	-	2	-	5	1	-	3	-	1	**17**
37	कटिहार	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	**8**
38	किशनगंज	2	-	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	**8**
	कुल	**40**	**58**	**73**	**10**	**94**	**11**	**60**	**9**	**74**	**11**	**0**	**93**	**6**	**34**	**573**

परिशिष्ट – IV

विभाग की सांगठनिक एवम् प्रशासनिक संरचना

सहकारिता विभाग का निम्न स्वरूप है जिनके अन्तर्गत सचिवालय एवं निदेशालय क्रमशः प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग एवं निबंधक, सहयोग समितियाँ के अन्तर्गत पृथक–पृथक कार्यरत है।

संगठनात्मक चार्ट

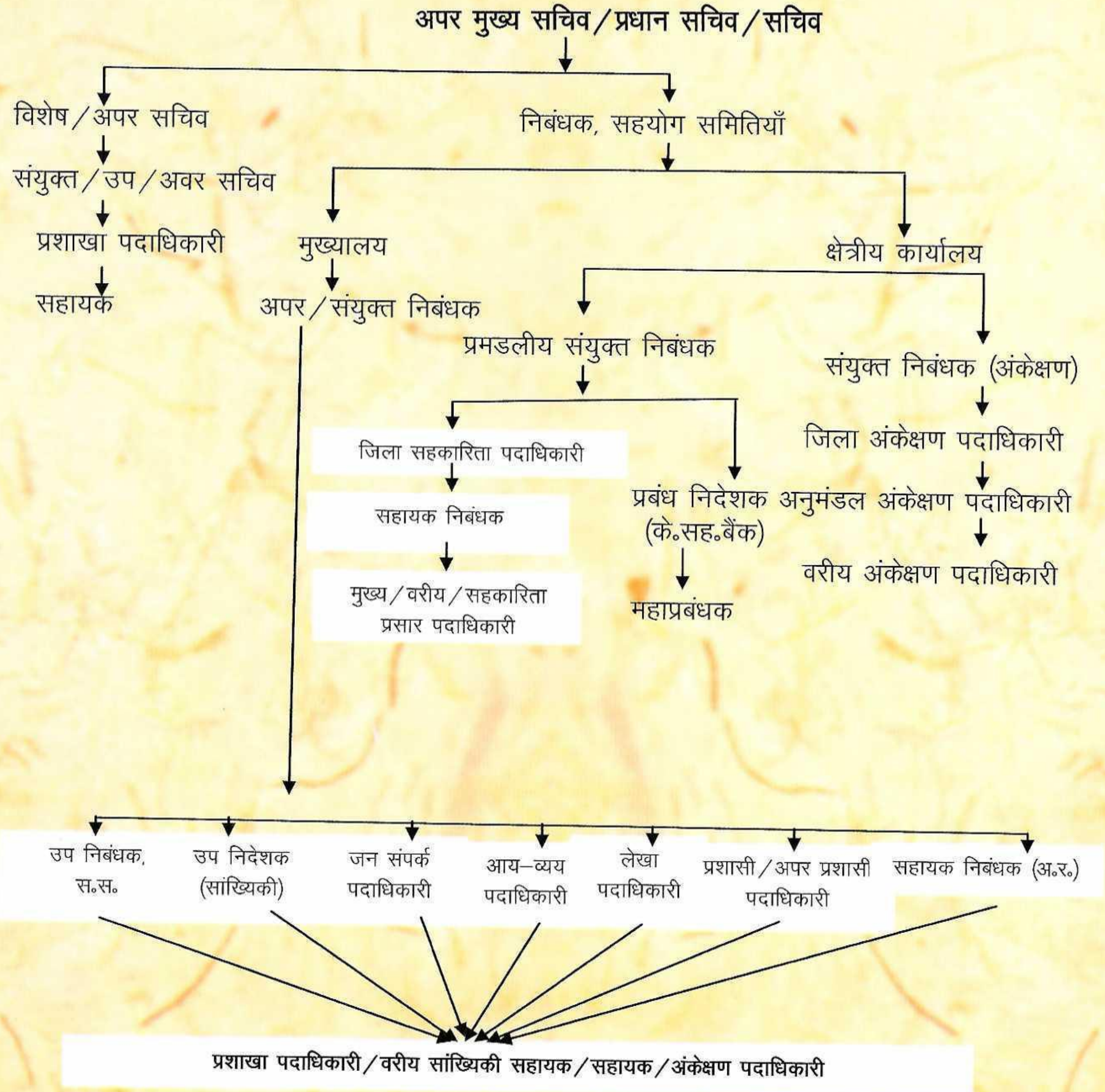

परिशिष्ट – V

सहकारिता विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय

सहकारिता विभाग के अन्तर्गत प्रमंडल स्तर पर संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ एवं संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ (अंकेक्षण), जिला स्तर पर जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला अंकेक्षण पदाधिकारी तथा अनुमंडल स्तर पर सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ के कार्यालय हैं।

प्रमंडलवार कार्यालयों का विवरण निम्नांकित हैं :–

प्रमंडल	जिला सहकारिता पदाधिकारी का कार्यालय	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ का कार्यालय	प्रमंडल	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी का कार्यालय
1	2	3	4	5
1. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल, पटना	1. पटना	1 पटना सदर 2. बाढ़ 3. पटनासिटी 4. दानापुर 5. मसौढ़ी	1. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल, पटना	1. पटना
	2. नालन्दा	6. बिहारशरीफ 7. हिलसा		2. नालंदा
	3. भोजपुर	8. आरा		3. भोजपुर 4. बक्सर
	4. बक्सर	9. बक्सर 10. डुमराँव		
	5. रोहतास	11. सासाराम 12. बिक्रमगंज		5. रोहतास 6. कैमूर
	6. कैमूर	13. कैमूर		
2. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, मगध प्रमंडल, गया	7. गया	14. गया 15. शेरघाटी	.2. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, मगध प्रमंडल, गया	7. गया 8. जहानाबाद 9. अरवल
	8. जहानाबाद	16. जहानाबाद		
	9. अरवल	17. अरवल		
	10. औरंगाबाद	18. औरंगाबाद		10. औरंगाबाद
	11. नवादा	19. नवादा		11. नवादा
3. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	12. मुजफ्फरपुर	20. मुजफ्फरपुर पूर्वी 21. मुजफ्फरपुर पश्चिमी	3. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	12. मुजफ्फरपुर
	13. वैशाली	22. हाजीपुर		13. वैशाली
	14. सीतामढ़ी	23. सीतामढ़ी 24. पुपरी		14. सीतामढ़ी 15. शिवहर
	15. शिवहर	25. शिवहर		
	16. मोतिहारी	26. मोतिहारी 27. सिकरहना		16. मोतिहारी
	17 बेतिया	28. बेतिया 29. बगहा		17. बेतिया
4. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा	18. दरभंगा	30. दरभंगा 31. बेनीपुर	4. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा	18. दरभंगा
	19. मधुबनी	32. मधुबनी 33. झंझारपुर 34. बेनीपट्टी		19. मधुबनी
	20. समस्तीपुर	35. समस्तीपुर 36. दलसिंहसराय 37. रोसड़ा 38. पटोरी		20. समस्तीपुर

5. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, सारण प्रमंडल, छपरा	21. सारण	39. छपरा 40. सोनपुर
	22. सिवान	41. सिवान
	23. गोपालगंज	42. गोपालगंज
6. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, भागलपुर एवं मुंगेर प्रमंडल, भागलपुर	24. भागलपुर	43. भागलपुर 44. नवगछिया
	25. बांका	45. बांका
	26. मुंगेर	46. मुंगेर
	27. जमुई	47. जमुई
	28. शेखपुरा	48. शेखपुरा
	29. लखीसराय	49. लखीसराय
	30. बेगूसराय	50. बेगूसराय
	31. खगड़िया	51. खगड़िया
7. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, कोशी प्रमंडल, सहरसा	32. सहरसा	52. सहरसा 53. बीरपुर 54. त्रिवेणीगंज
	33. सुपौल	55. सुपौल
	34. मधेपुरा	56. मधेपुरा 57. उदाकिशनगंज
8. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ	35. पूर्णियाँ	58. पूर्णियाँ
	36. अररिया	59. अररिया
	37. किशनगंज	60. किशनगंज
	38. कटिहार	61. कटिहार

5. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, सारण प्रमंडल, छपरा	21. सारण
	22. सिवान
	23. गोपालगंज
6. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर	24. भागलपुर 25. बांका
	26. मुंगेर 27. जमुई 28. शेखपुरा 29. लखीसराय
	30. बेगूसराय
	31. खगड़िया
7. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, सहरसा एवं पूर्णियाँ प्रमंडल, सहरसा	32. सहरसा 33. सुपौल 34. मधेपुरा
	35. पूर्णियाँ 36. अररिया 37. किशनगंज
	38. कटिहार

सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग

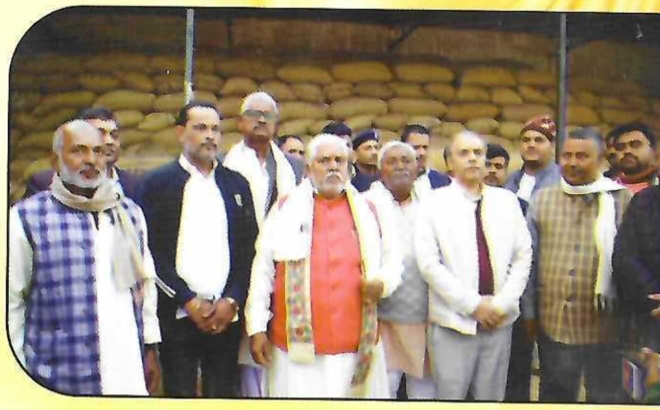

मुरादाबाद प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लि.

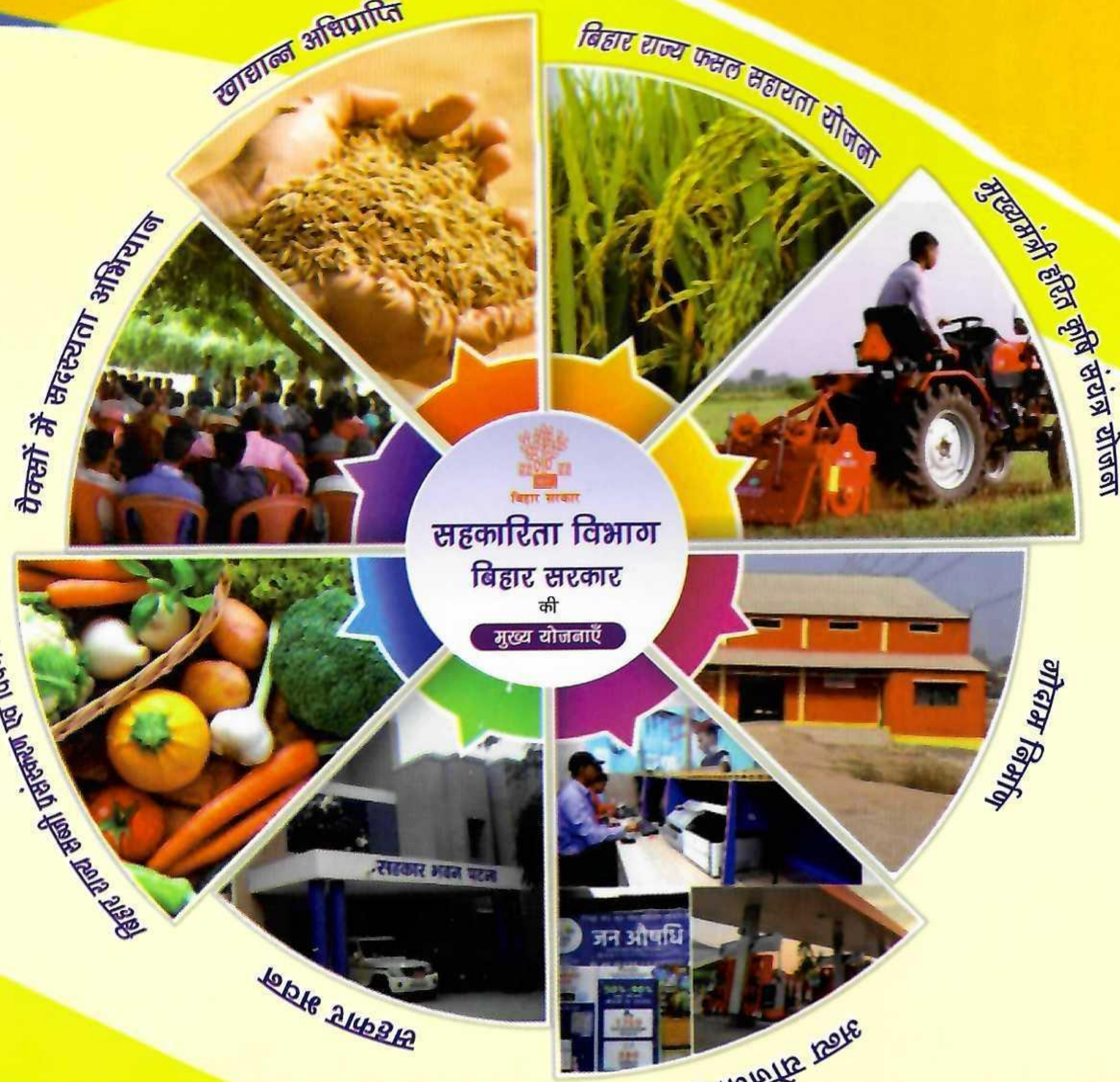

एक सब के लिए
सब एक के लिए

Printed at : Indian Arts Offset, Basement of S.B.I., Mahendru, Patna - 6
(M) 7257887860, 9431011172, Email : indianartsoffset@yahoo.com, indianartsoffsetgstit@gmail.com